विषय-सूची

अवरण कथा : प्रधानमंत्री का विदेश प्रवास

सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका की सफल यात्रा.................................... 8

संगठनात्मक गतिविधियां : वाराणसी में विशाल जन सभा

उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छा प्रदेश बनाना भाजपा का दायित्व.................. 11

'सात करोड़ से अधिक सदस्य बन चुके हैं भाजपा के'........................... 13

सरकार की उपलब्धियां :

मोदी सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा... 17

बीमा क्षेत्र में 49 फीसद विदेशी निवेश को मंजूरी.................................. 18

लोकसभा में भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक पारित......................... 19

वैचारिकी : पं. दीनदयाल उपाध्याय

चिति- राष्ट्र का केन्द्र बिन्दु.. 20

श्रद्धांजलि : डॉ. अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) पर विशेष

असीम जिजीविषा के धनी

संजीव कुमार सिन्हा.. 22

संसद में बहस

राष्ट्रपति अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव/ -नरेन्द्र मोदी........ 23

सामाजिक समरसता के अग्रदूत डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जयंती (14 अप्रैल) पर शत् शत् नमन!

कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-

त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798

Qku (dk-) : +91(11) 23381428

QDI : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

ई-मेल

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

बोध कथा

गीता का प्रभाव

ब्रिटेन के वैज्ञानिक डॉ. जॉन बर्डन सेंटरसन हाल्डेन ने 1922 में कैंब्रिज विश्वविद्यालय में शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं पर अनुसंधान कर पूरे संसार में ख्याति प्राप्त की। इस अनुसंधान के बाद उनकी दिलचस्पी आध्यात्मिक विषयों की ओर बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा कि अब धर्म और आध्यात्मिक रहस्यों का अध्ययन कर लें। बस फिर क्या था, उन्होंने कुछ ही समय में लग कर अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर डाला। सबसे अंत में वह गीता पढ़ने लगे।

जैसे-जैसे वह गीता का एकाग्रता से मनन करते गए, वैसे-वैसे उनका मोह भौतिक वस्तुओं से हटता गया। उन्हें यह अहसास होता गया कि भौतिकवादी साधनों से कभी भी मानव को सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। 1951 में वह अपनी पत्नी के साथ भारत आए। यहां घूमते हुए वह भुवनेश्वर पहुंचे। वहां अनेक धर्म प्रचारक भी मौजूद थे। अचानक ब्रिटेन के एक धर्म प्रचारक ने उनसे पूछा, 'आप एक अंग्रेज होते हुए भी गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ क्यों मानते हैं? क्या आपकी नजरों में गीता से बेहतर और कोई ग्रंथ नहीं है?'

उस धर्म प्रचारक की बात सुनकर हाल्डेन शांत भाव से बोले, 'गीता निरंतर निष्काम कर्म करते रहने की प्रेरणा देकर आलसी लोगों को भी कर्म से जोड़ती है। वह भक्ति और कर्म दोनों को एक-दूसरे का पूरक बताती है। वह किसी संप्रदाय या धर्म का नहीं, मानव मात्र के कल्याण का संदेश देती है। इसलिए मुझे गीता ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। मैं वैज्ञानिक होकर भी इसे अपने काम के लिए उपयोगी मानता हूं। दूसरे क्षेत्रों के लोगों के लिए भी यह उपयोगी है।' ब्रिटेन के धर्म प्रचारक हाल्डेन की यह बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए।

संकलनः जयगोपाल शर्मा

(नवभारत टाइम्स से साभार)

पाथेय

भारतीय चिंतन ही मूल चिंतन

पाश्चात्य तत्वज्ञान का इतिहास केवल ढाई हजार वर्ष का है। स्थूल रूप में तो प्राचीन तत्वज्ञान के कालखण्ड का इतिहास एक हजार वर्ष का, मध्ययुगीन का एक हजार वर्ष का और अर्वाचीन पांच-साढे पांच सौ वर्ष का है। भारत में तत्वचिंतन वैदिक काल में नासदीय सूक्तों से प्रारंभ हुआ और तब से वह चिन्तन-गंगा अखण्ड समृद्ध होती रही है। यह कुल कालखण्ड कितने वर्षों का होगा, निश्चित करना होगा। पश्चिमी चिन्तन का बड़ा भाग प्राप्त परिस्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में है। भारतीय चिंतन का अधिकांश भाग परिस्थितिनिरपेक्ष मूलभूत चिंतन का है। अतः उसमें शाश्वतता अधिक है। विशेषतः इस विषय में अनुसंधान होने की आवश्यकता है कि पश्चिम में जिस प्रकार तत्वज्ञ की एक विशेष श्रेणी मानी गई है और तत्वज्ञान के संबंध में विचारों को विज्ञान के साथ जोड़ा गया है, उसी प्रकार भारत में क्या कभी हुआ था? पश्चिम का विचार सदैव खण्डकरण पद्धति का रहा है। वे खण्डशः ही विचार करते हैं। हमारे विचार में सदैव समग्रता रही है। इसका परिणाम विचारकों की श्रेणियां निश्चित करने पर भी हुआ है।

(पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन खंड-1 तत्व जिज्ञासा)

भाजपा स्थापना दिवस (6 अप्रैल) पर विशेष

भाजपा के 35 वर्ष

2 से 282 तक की यात्रा...

जनसंघ के बाद भाजपा गठन को 6 अप्रैल 2015 को 35 वर्ष हो जाएंगे। 2 से चले थे और आज लोकसभा में 282 तक पहुंचे हैं। भाजपा का यह राजनीतिक सफर संगठन की जीवंतता का एक अनुपम उदाहरण है। यह अवसर है उन अनाम कार्यकर्ताओं को प्रणाम करने का, जो बिना लाग-लपेट, बिना लोभ-लालच के, अहर्निश बिना कहे, संगठन के काम में लगे रहते हैं। भारतीय राजनीति में भाजपा ही एक ऐसा दल है जिसे सामाजिक और आध्यात्मिक राजनैतिक दल कहा जा सकता है। दर्शनहीन राजनीतिक दलों के बीच दर्शन से पूर्ण एक दल है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है।

दोहरी सदस्यता के नाम पर जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रशेखर ने जनसंघ को जनता पार्टी से अलग कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, जगन्नाथ राव जोशी, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, भैरो सिंह शेखावत, जना कृष्णमूर्ति, के.एल. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, जे.पी. माथुर सहित अनेक लोग तनिक भी घबराएं नहीं। वे जानते थे कि संगठन ही शक्ति है। संगठन सिर्फ जनसंघ के पास है, सबने इसे माना।

दिल्ली में एकत्रित हुए और 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का गठन किया। जनसंघ के सबसे लाडले नेता अटल बिहारी वाजपेयी को पहला अध्यक्ष बनाया गया। मुम्बई में पहला महाधिवेशन हुआ। इसमें अटलजी ने समुद्र के किनारे प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा- ''सूरज निकलेगा, अंधेरा छंटेगा और कमल खिलेगा।'' कारवां बढ़ता गया। कार्यकर्ता एड़ी-चोटी का जोर लगाते रहे। एक स्थिति यहां तक आई कि इंदिरा गांधी के देहावसान के बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा मात्र 2 सीटों पर सिमटकर रह गई। भाजपा के महानायक अटलजी तक चुनाव हार गए। क्षणभर के लिए निराश हुए। पर संगठन शक्ति भाजपा के पास थी। गांव-गांव में कार्यकर्ता थे। इसलिए निराशा की काई बहुत जल्दी दूर हुई।

अटलजी, आडवाणीजी और डॉ. जोशीजी ने कमान संभाली। भारत का भ्रमण किया। देश में यात्राओं का दौर शुरू हुआ। डॉ. जोशी ने जहां एकात्मता यात्रा से भारत को जोड़ने का काम किया, वहीं गुजरात के सोमनाथ से भगवान श्री रामजन्मभूमि अयोध्या तक की यात्रा पर स्वयं लालकृष्ण आडवाणी निकले। जन-मानस में एकात्मता का विचार जन्म लेना शुरू हुआ। देश के हर कोने में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्थन मिला। धर्मनिरपेक्षता की कांग्रेसी नकाब को लोगों ने पंथनिरपेक्षता से परास्त किया। सर्वधर्मसमभाव की ओर देश बढ़ने लगा। आरोप-प्रत्यारोप के दौर चले लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उत्तरोत्तर विस्तार होने लगा। देश में राजनैतिक परिवर्तन का यह अद्‌भुत दौर था। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भाजपा का जबरदस्त विस्तार हुआ। जहां हम 2 पर रुक गए, वहां हम 85 पर पहुंचे। फिर निरंतर बढ़ते गए।

जहां हमें लोगों ने अलग करके रखा था, वहीं धीरे-धीरे राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ। एक तरफ लोग कांग्रेस के साथ जुड़े तो दूसरी तरफ लोग भाजपा के साथ जुड़े। आडवाणीजी ने अटलजी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया। लोगों में आशा की किरण जगी। विपक्ष के सबसे चहेते नेता अटलजी को प्रधानमंत्री बनने का सपना देश देख रहा था। भाजपा के सहयोगी दलों की संख्या बढ़ती गई। 1 से 2, 2 से 5 और 5 से 24 दलों का साथ उसे मिला। इसी तरह 1984 में 2 थे तो महज 12 साल बाद ही 1996 में 161 सीट पाकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी और पहली बार अटलजी

के नेतृत्व में केंद्र में 13 दिन की सरकार बनी। अटलजी ने जोड़-तोड़ से सरकार बनाने में विश्वास नहीं जताया। सरकार गिर गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक नहीं, सौ-सौ सरकार न्योछावर कर दूंगा पर जोड़-तोड़ से प्रधानमंत्री बनना मुझे स्वीकार्य नहीं होगा। 1998 में वह अवसर आया जब भाजपा ने 182 प्राप्त कर अटलजी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाई। यह सरकार 13 महीने चली, फिर गिरी। 1999 में आम चुनाव हुए। भाजपा को फिर 182 सीटें मिलीं। अटलजी ने 24 दलों के नेता के रूप में 5 वर्ष तक कुशलतापूर्वक सरकार चलाई।

भारतीय राजनीति में गठबंधन का वह अद्‌भुत दौर था। संघर्ष की एक नई गाथा लिखी गई थी। कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा दिखाई थी। मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में भाजपा गठबंधन की सरकारें चलने लगी। देश में विकास ने रफ्तार पकड़ी। परमाणु विस्फोट जैसे एतिहासिक कदम अटलजी के नेतृत्व में लिए गए। कारगिल के समर को पाकिस्तान के विरुद्ध भारत ने जीता। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, नदी जोड़ने का फैसला इन्हीं दिनों लिया गया। अंत्योदय को साकार करने का सपना पूरा हुआ। महंगाई पर लगाम लगी। किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजना ने देश के किसानों को संबल प्रदान किया। एक नहीं अनेक ऐसे फैसले हुए जो भारतीय राजनीतिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया।

दक्षिण भारत में संगठन का विस्तार हुआ। दक्षिण भारत के जना कृष्णमूर्तिजी, बंगारूजी, वेंकैयाजी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आडवाणीजी ने अध्यक्ष के नाते एक नहीं, अनेक यात्राएं निकालकर भारत को जोड़ने और भाजपा को बढ़ाने हेतु जबरदस्त प्रयास किए। वे वैचारिक योद्धा के रूप में उभरे।

गुजरात की भाजपा सरकार, जो नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही थी, ने भारत में अमिट छाप छोड़ी। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ने विशिष्ट पहचान बनाई। राजस्थान के रेगिस्तान में वैचारिकता की फसलें बोई गईं, जो धीरे-धीरे लहलहाने लगीं। देश में द्वितीय पंक्ति के नेताओं की कतार खड़ी हुई। अटलजी, आडवाणीजी और राजमाताजी ने पूरे देश में प्रत्येक राज्यों में नेताओं की श्रृंखलाएं खड़ी कीं।

भाजपा ने सदैव अपने को जीवंत बनाए रखा। अच्छा काम करने के बाद भी 2004 के चुनाव में निराशा हाथ लगी। परंतु भाजपा के पग रुके नहीं, थके नहीं। पग बढ़ते गए। जहां-जहां भाजपा राज्यों में सरकार में थी, वहां-वहां की सरकार ने अपनी राष्ट्रीय छवि बनाई। धीरे-धीरे जनता में यह विश्वास होने लगा कि भाजपा को पुनः देश में लाना चाहिए।

2004 से 2014 तक 10 वर्षों तक भाजपा ने बहुत धैर्य और धर्म से काम किया। अपने विचारों से टस से मस नहीं हुई। धीरे-धीरे गुजरात एक मॉडल के रूप में उभरने लगा। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी आशा की किरण बनकर उभरने लगे। यूपीए की सरकार गत वर्षों में देश को रसातल में ले गई। घनघोर निराशा के बीच से भारत गुजरने लगा। हर दिन घोटालों के पर्दाफाश का दिन हुआ करता था। भारत ने अपनी साख और धाक दोनों खो दी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौन थे, पर सोनियाजी और राहुलजी के इशारे पर कांग्रेसी और उनके सहयोगी दल देश लूट रहे थे। घोटालों के काले कारनामे जनता के सामने आने शुरू हुए। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि तिरंगे की अस्मिता का सवाल खड़ा हो गया। संसद लजाने लगा। संविधान सिहरने लगा। सेना और सीमाएं सिकुड़ती गईं। सेना का मनोबल टूटने लगा। संसद की गरिमा तार-तार होने लगी। संवैधानिक ढांचा चरमराना लगा। देश का प्रत्येक नागरिक छटपटाने लगा।

परिवर्तन की आहट भाजपा ने सुनी। गोवा में भाजपा कार्यकारिणी में ऐतिहासिक फैसला हुआ। राजनाथ सिंहजी की अध्यक्षता में नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया गया। इन निर्णयों में भाजपा को कुछ खट्टे-मीठे अनुभव भी आए। लेकिन सबने मिल-जुलकर देश को सामने रखकर दल के फैसले को स्वीकार किया। देश परिवर्तन और नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व चाह रहा था। फिर भाजपा ने फैसला लिया कि हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदीजी होंगे। देश उमंग से झूम उठा। नेतृत्व के प्रति आस्था बढ़ी। परिवर्तन की इस आहट को राजनीतिक पुरोधा नरेंद्र मोदीजी ने भी भांप लिया। उन्होंने अनथक परिश्रम शुरू किया। गुजरात को नापा ही था अब भारत को नापने में लग गए। 500 के करीब आम सभाएं कर पूरा संगठन जागृत कर दिया। देश में व्याप्त हताशा-निराशा दूर हुई। अपने अनथक परिश्रम से नरेंद्र मोदीजी ने विश्वास की टमटमाती लौ को अखंड ज्योति में बदल दिया। वे विरोधियों पर टूट पड़े। इतना ही नहीं गुजरात में उपजे जन-विश्वास का फैलाव भारत में होने लगा। भाजपा संगठन और भारत के नागरिकों ने गुजरात के नायक को

भारत का महानायक बनाने में अग्रणी भूमिका निभाना शुरू कर दिया।

चुनाव समाप्त हुआ। 16 मई परिणाम का दिन था। भाजपा ने 30 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा। जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत की सरकार कभी नहीं बनाई थी। सूर्यास्त होने तक चुनाव परिणाम 282 के आंकड़े तक पहुंच गया था। भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर 282 सिर्फ आंकड़ा नहीं था, बल्कि एक विचारधारा का बहुमतीय उदय हो रहा था। विनम्रता से भाजपा ने भारत के इस जनादेश को स्वीकार किया और कहा कि लोकतंत्र में धैर्य ही धर्म है और कर्म ही पूजनीय है।

संगठन की शक्ति से, नेतृत्व के बल से जनमानस के सपने को साकार किया जा सकता है। गत 35 वर्षों की यात्रा के पश्चात् आज हम देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार चला रहे हैं, वहीं देश के अनेक राज्यों में हमारी गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। देश से मिला यह अटूट विश्वास कायम रखने के लिए हमें आराम से नहीं बैठना होगा। सरकार के अच्छे फैसले को संगठन के माध्यम से गांव-गांव तक ले जाना होगा। अभी यात्रा अधूरी है। पूरी होना बाकी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से युक्त भारत के लिए निरंतर मेहनत करनी होगी। हमें अपने नेतृत्व पर, कुशल कार्यकर्ताओं पर, अपनी नीति पर और नीयत पर कोई शंका नहीं है। हमने राजनीतिक कार्य को ईश्वरीय कार्य माना है। अत: ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें सबल बनाते हुए सफलता की ओर ले जाएं। ■

किसानों से 'मन की बात'

हमें किसानों के साथ धोखा का अधिकार नहीं है : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए देशभर के किसानों के साथ मन की बात की। उन्होंने कहा, 'संशोधित कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर मैं हैरान हूं। आज तक देश में 120 साल पुराना कानून चला। आज जो किसानों का हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इसी कानून के सहारे राज करते रहे। जो 2013 में कानून लेकर आए थे वे भी मानते थे कि इसमें परिवर्तन की जरूरत है। उस वक्त हमने कंधे से कंधा मिलाकर कानून के साथ दिया था। हमें किसानों के साथ धोखा का अधिकार नहीं है।'

13 नए श्रेणियों को लाया गया कानून के दायरे में

किसानों से 'मन की बात' में श्री मोदी ने कहा, '13 ऐसी श्रेणियां थीं जो कि कानून से अलग थीं। सबसे ज्यादा जमीन इन्हीं सरकारी कामों के लिए ली जाती है जैसे रेलवे, हाइवे, खदान आदि। इनको बाहर रखा गया था लेकिन इन कामों के लिए सबसे ज्यादा जमीन चाहिए होती है, लेकिन उस वक्त सरकार ने इसके लिए ली जाने वाली जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ाया गया। अब इन तेरह में भी मुआवजा भी चार गुना देने की बात की गई है, क्या यह किसान विरोधी बिल है? जब यह कानून बना था, उन्होंने ही कहा था कि इससे किसी का भला नहीं होगा, अफसरशाही को बढ़ावा देने की बात थी, अगर यह सच था तो क्या सुधार होना चाहिए था कि नहीं? किसान को पूरा मुआवजा मिले यही किया जा रहा है।'

कानून न लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं राज्य सरकारें

श्री मोदी ने किसानों के साथ मन की बात में कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने से पहले राज्य सरकारों से बात की गई थीं। 2013 में बने कानून को केवल कांग्रेस की राज्य सरकारों ने लागू किया था लेकिन एक ऐसा कानून बनाने की कोशिश की गई है जिससे किसानों को ज्यादा फायदा हो। लोकसभा में कुछ किसान नेताओं ने बिल को लेकर कुछ सुझाव दिए तो उन्हें संशोधन में शामिल किया गया है। इसके बावजूद अगर कोई राज्य सरकार नए कानून के तहत जमीन अधिग्रहण नहीं करना चाहता तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इसे लेकर फैलाए जा रहे भ्रम से किसानों

शेष पृष्ठ 28 पर

प्रधानमंत्री की सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका की सफल यात्रा

राम नयन सिंह की रिपोर्ट

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हिंद महासागर क्षेत्र के तीन प्रमुख देश सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका की बेहद सफल यात्रा की। श्री मोदी की यह पांच दिवसीय विदेश यात्रा 10 मार्च को प्रारम्भ होकर सेशेल्स, मॉरिशस होते हुए 14 मार्च को श्रीलंका में समाप्त हुई। पिछले 33 साल में सेशेल्स की और पिछले 28 साल में श्रीलंका की यात्रा करने वाले श्री मोदी जाफना का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री डेविड कैमरन के बाद संकट ग्रस्त श्रीलंका का दौरा करने वाले दूसरे अंतरराष्ट्रीय नेता श्री मोदी ने गृह युद्ध के दौरान बेघर हुए तमिलों को 27,000 नए मकान सौंपे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका यात्रा बेहद सफल रही। देश की सामरिक-व्यापारिक व नौपरिवहन सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने सबसे पहले सेशेल्स की यात्रा की। इसके बाद वह मॉरीशस गए। भारत ने सेशेल्स के साथ रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करते हुये सुरक्षा और नौवहन क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिये चार समझौतों पर हस्ताक्षर किये। प्रधानमंत्री ने सेशल्स के राष्ट्रपति श्री जेम्स एलेक्स माइकल के साथ बातचीत की और कहा कि सेशेल्स हमारे हिन्द महासागर के पड़ोस में अहम भागीदार है। उन्होंने कहा, यह छोटी यात्रा है लेकिन यह यात्रा काफी सफल रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में सेशेल्स मेरा पहला पड़ाव बना है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1981 में इस देश की यात्रा की थी।

श्री मोदी और श्री माइकल ने इस दौरान जल क्षेत्र मापन, अक्षय उर्जा, ढांचागत सुविधाओं के विकास और नौवहन चार्ट सौदा तथा इलेक्ट्रानिक नौसंचालन संबंधी चार्ट से जुड़े चार अहम समझौते पर हस्ताक्षर किये। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलक्षेत्र के मापन (हाइड्रोग्राफिक सर्वे) पर समझौते से आज हमारे नौवहन सहयोग के क्षेत्र में नया आयाम जुड़ गया है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि सेशेल्स जल्द ही भारत, मालद्वीव और श्रीलंका के बीच नौवहन सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में पूर्ण भागीदार बनेगा।

सेशेल्स के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में श्री मोदी ने हिन्द महासागर स्थित इस द्वीपीय देश को भारत की ओर से दूसरा ड्रोनियर विमान देने की घोषणा की। श्री मोदी ने इस अवसर पर तटीय निगरानी राडार परियोजना की भी शुरुआत की। उन्होंने इस परियोजना को दोनों देशों के बीच सहयोग का एक ओर प्रतीक बताया। उन्होंने सेशेल्स को विश्वसनीय दोस्त और रणनीतिक भागीदार

बताते हुये कहा, हमारी सुरक्षा भागीदारी मजबूत है। इससे हमें क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा को आधुनिक बनाने की हमारी साझा जिम्मेदारी को पूरा करने में मदद मिली है।

श्री मोदी ने कहा, सेशेल्स की सुरक्षा क्षमताओं को विकसित करने में भागीदार बनना हमारे लिये सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इन कदमों से सेशेल्स को अपने सुन्दर द्वीप और उसके आसपास फैले समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, सेशेल्स भी हिन्द महासागर क्षेत्र को सुरक्षित रखने में अपना अहम योगदान देना जारी रखेगा।

श्री मोदी और श्री माइकल ने इस दौरान जल क्षेत्र मापन, अक्षय उर्जा, ढांचागत सुविधाओं के विकास और नौवहन चार्ट सौदा तथा इलेक्ट्रानिक नौसंचालन संबंधी चार्ट से जुड़े चार अहम समझौते पर हस्ताक्षर किये। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलक्षेत्र के मापन (हाइड्रोग्राफिक सर्वे) पर समझौते से आज हमारे नौवहन सहयोग के क्षेत्र में नया आयाम जुड़ गया है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि सेशेल्स जल्द ही भारत, मालद्वीव और श्रीलंका के बीच नौवहन सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में पूर्ण भागीदार बनेगा।

श्री मोदी ने इस अवसर पर सेशेल्स के नागरिकों को तीन महीने के लिये निशुल्क वीजा देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा, हम आपको भारत पहुंचने पर वीजा देने की सुविधा भी देंगे। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति माइकल और मैंने हिन्द महासागर क्षेत्र में व्यापक सहयोग के महत्व को रेखांकित किया है। हमने अधिक सक्रिय हिन्द महासागर रिम एसोसियेसन के लिये समर्थन व्यक्त किया है। श्री मोदी और श्री माइकल ने समुद्री क्षेत्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मे सहयोग बढ़ाने के लिये एक संयुक्त कार्य समूह बनाने पर भी सहमति जताई ताकि सामुद्रिक क्षेत्र में संतुलित और सतत तरीके से नई संभावनाओं को तलाशा जा सके।

प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि अनुदान और कर्ज के रूप में सेशेल्स को दी जानी वाली 7.50 करोड़ डालर की गई राशि का वह अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप तुरंत इस्तेमाल करेगा। उन्होंने सेशेल्स के राष्ट्रपति माइकल का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता सहित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का लगातार समर्थन करने के लिये धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने राष्ट्रपति श्री माइकल को जल्द भारत यात्रा पर आने का न्यौता भी दिया। भारत को एक प्रमुख देश बताते हुये श्री माइकल ने कहा कि उनका देश भारत की ओर देखता है वह भारत की यात्रा करेंगे। सेशेल्स की आबादी 90 हजार है और इनमें 10 प्रतिशत भारतीय मूल के लोग हैं।

भारत-मॉरीशस के बीच पांच समझौते, मोदी ने दिया 50 करोड़ डॉलर देने का प्रस्ताव

भारत और मॉरीशस के बीच पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही मॉरीशस के बुनियादी ढांचे के लिए 50 करोड़ डॉलर का कर्ज देने की पेशकश की। गैरकानूनी धन और कर चोरी करने के लिए मॉरीशस का दुरुपयोग किए जाने से जुड़ी भारत की आशंका के बीच द्विपक्षीय कर संधि में संशोधन संबंधी वार्ता लंबे समय से अटकी हुई थी। श्री मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के बीच पहले दिन की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच पांच अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसमें सामुद्रिक अर्थव्यवस्था विकसित करना शामिल है।

मॉरीशस के बीच हुए पांच समझौते

भारत और मॉरीशस के बीच हुए समझौतों में सामुद्रिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच हुई सहमति भी शामिल है। यह सहयोग के लिए विस्तृत ढांचा मुहैया कराएगा। यह हिंद महासागर क्षेत्र में सतत विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

अन्य समझौतों में मॉरीशस के ऐगालेगा द्वीप पर सामुद्रिक और वायु परिवहन सुविधा, पारंपरिक औषधि विज्ञान और होमियोपैथी के क्षेत्र में सहयोग, 2015-18 के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर कार्यक्रम और भारत से ताजे आम के आयात से जुड़े समझौते शामिल हैं।

भारत ने मॉरीशस में दूसरा साइबर शहर स्थापित करने की पेशकश की। उल्लेखनीय है कि भारत ने दशक भर पहले मारीशस को पहला साइबर शहर स्थापित करने में मदद की थी। इससे पहले मोदी ने मॉरीशस के राष्ट्रपति राजकेश्वर प्रयाग से मुलाकात की थी। भारत ने आगमन पर वीजा की नई प्रणाली के संबंध में मॉरीशस के नागरिकों के लिए वीजा शुल्क तकनीकी तौर पर खत्म करने पर भी सहमति जताई।

भारत-श्रीलंका के बीच चार समझौते मछुआरों का मुद्दा सुलझाएंगे दोनों देश

भारत और श्रीलंका की सरकारों ने चार समझौतों पर दस्तखत किए। इनमें अधिकारियों के दौरों पर वीजा नियमों में छूट, कस्टम मामलों में सहयोग, दोनों देशों के युवाओं के बीच बेहतर संवाद और विश्वविद्यालय में एक ऑडिटोरियम बनाने समेत शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के मुद्दे शामिल हैं। इन समझौतों के अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के लोगों के लिए ई-वीजा सेवा शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने श्रीलंका में रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 31.8 करोड़ डॉलर के मदद की घोषणा भी कर दी। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी इलाकों के संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने के लिए भारत की मदद अहमियत रखती है। श्रीलंका को दी जा रही सहायता और मुक्त व्यापार समझौता

श्रीलंकाई संसद को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि श्रीलंका के साथ साझेदारी को विकसित करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आदर्श पड़ोसी को लेकर मेरा दृष्टिकोण यह है जिसमें व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी प्रवाह सीमापार से आसानी से हो सके, जहां साझेदारी दैनिक कार्यक्रम को सरल किए जाने के आधार पर बने।

द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशिया में श्रीलंका भारत का एक बड़ा कारोबारी व सहयोगी देश है। भारत और श्रीलंका के बीच 2013-14 में 5.23 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार हुआ।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक विकास में भारतीय सहयोग पर पड़ोसी देशों का विशेषकर श्रीलंका का पहला हक है। श्रीलंकाई संसद को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि श्रीलंका के साथ साझेदारी को विकसित करने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आदर्श पड़ोसी को लेकर मेरा दृष्टिकोण यह है जिसमें व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी प्रवाह सीमापार से आसानी से हो सके, जहां साझेदारी दैनिक कार्यक्रम को सरल किए जाने के आधार पर बने। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैसा कि तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, हमारे पड़ोसियों का भारत पर पहला हक है। और इसमें सबसे पहला हक श्रीलंका का है।

नयी दिल्ली रेलवे क्षेत्र में श्रीलंका के लिए 31.8 करोड डालर तक की नयी ऋण सुविधा मुहैया कराएगा। इसका उपयोग रेलवे के लिए इंजिन, डिब्बे तथा अन्य जरुरी सामान (रोलिंग स्टाक) खरीदने और मौजूदा रेलवे ट्रैक की मरम्मत और उन्नयन के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक आफ श्रीलंका 1.5 अरब डालर का मुद्रा अदला-बदली समझौता करने पर सहमत हो गए हैं ताकि श्रीलंकाई रुपये में दूसरी मुद्राओं के मुकाबले घटबढ़ को स्थिर रखने में मदद मिल सकेगी।

शेष पृष्ठ 14 पर

उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छा प्रदेश बनाना भाजपा का दायित्व : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 22 मार्च को वाराणसी में एक विशाल जन सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री शाह ने परिवर्तन का आह्वान किया और लोगों से बिहार व उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने की अपील की। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी के प्रतिनिधि के नाते पीएम पद पर विराजमान हैं। देश में पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता की कृपा से बनी है। उत्तर प्रदेश अगर 73 सीटें नहीं देता तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का सवाल नहीं होता। भाजपा उत्तर प्रदेश की जनता की ऋणी है। इसलिए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाना भाजपा का दायित्व है। उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन आया है और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है, उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े और अति-पिछड़े समाज ने भाजपा का समर्थन किया है।

श्री शाह ने कहा कि आजादी के बाद 50 साल से अधिक कांग्रेस सत्ता में रही लेकिन उसने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। देश से गरीबी दूर नहीं हुई। अगर किसी की गरीबी दूर हुई तो कांग्रेस के नेताओं की दूर हुई, नेताजी के आस-पास के लोगों की गरीबी दूर हुई, बहनजी के आसपास के लोगों की गरीबी दूर हुई लेकिन जो वास्तव में गरीब थे उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। श्री शाह ने कहा कि गरीबी वही दूर कर सकता है जिसके हृदय में गरीबों के लिए दर्द हो। गरीबी वही दूर कर सकता है जिसने खुद गरीबी देखी हो। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया है जो चाय बेचते-बेचते प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा है और जिसने खुद गरीबी देखी है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गरीबों के प्रतिनिधि हैं।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार गरीबों और पिछड़ों के हित में काम करती है। आजादी के 60 साल बाद भी 40 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिनके पास बैंक खाता नहीं था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने छह माह के भीतर गरीब परिवारों के 12 करोड़ बैंक खाते खुलवाकर गरीबों के घर समृद्धि लाने का काम किया है। श्री शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 साल से अधिक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेसी नेताओं को गरीबों की याद क्यों नहीं आई क्योंकि उन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सत्ता में आते ही गरीबों के कल्याण के लिए एक के बाद एक कई उपाय किए हैं। मोदी सरकार ने मात्र 12 रुपये में दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कराने की योजना शुरु की है। अगर किसी गरीब किसान को कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को दो लाख रुपये मिलेंगे। इसी तरह मोदी सरकार ने मात्र 330 रुपये में जीवन बीमा देने की योजना शुरु की है। इन योजनाओं से गरीबों और पिछड़ों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने गांवों को आदर्श बनाने के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की है। गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति' योजना शुरू की है। इसके अलावा पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार दिलाने, कौशल विकास के माध्यम से मजदूरों की आय बढाने। गांवों, कस्बों और शहरों में स्वच्छता रखने और किसानों के

खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जैसे कार्यक्रम मोदी सरकार ने शुरू किए हैं। मोदी सरकार गरीबों की चिंता करती है। श्री शाह ने कांग्रेस के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले में अरबों-खरबों रुपये खा गए। मोदी सरकार ने गरीबों के हित में कोयला की नीलामी का फैसला किया। अभी तक तीस प्रतिशत ही नीलामी हुई है और तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपये सरकारी खजाने में आए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस धनराशि को केंद्र के खजाने में नहीं रख रहे बल्कि वह इसे गरीबों के विकास और कल्याण के लिए राज्यों के पास भेज रहे हैं।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने मुद्रा बैंक की स्थापना की घोषणा कर एक बड़ा काम किया है। आज बड़े-बड़े उद्योगों को तो आसानी से लोन मिल जाता है लेकिन गरीबों को कोई लोन नहीं देता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने मुद्रा बैंक योजना शुरु की है जिसके तहत कोई भी गरीब व्यक्ति पांच हजार रुपये से पांच करोड़ रुपये तक का लोन ले सकता है। जो व्यक्ति छोटा सा ठेला चलाता है उसे भी लोन मिलेगा और जो रिक्शा चलाता है उसे भी लोन मिलेगा। अगर किसी गरीब युवा को दुकान खोलनी है तो उसे भी पांच लाख रुपये लोन मिलेगा।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मां गंगा को अविरल और शुद्ध बनाने का काम भी शुरू किया है। वह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जनता से मिले उपहारों की नीलामी कर 42 करोड़ रुपये नमामि गंगे कार्यक्रम में दान दिए हैं। यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना है। श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जब भाजपा सरकार थी तो उसने यह सुनिश्चित किया था कि आरक्षण का लाभ निर्बल को मिले, अति पिछड़े को मिले। अब उत्तर प्रदेश में पुन: भाजपा की सरकार बनने पर अति-पिछड़े समाज के बच्चों को आरक्षण दिलाने का काम भाजपा सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। जाति के आधार पर वोट नहीं मांगती। भाजपा पिछड़ों को समाज में आगे ले जाना चाहती है।

श्री शाह ने कहा कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा उत्तर प्रदेश और बिहार का विकास मुश्किल है। आज इस बात का संकल्प करें कि उत्तर प्रदेश से पहले इस साल बिहार में होने वाले चुनाव में हम परिवर्तन करें। एक बार भरोसा करके बिहार और उत्तर प्रदेश को मोदीजी के हाथों में सौंप दीजिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार को गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह विकसित बनाने का काम भाजपा करेगी। युवाओं को शिक्षा और रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और किसानों के खेतों में सिंचाई की सुविधा देने का काम भाजपा करेगी। अगर उत्तर प्रदेश की बागडोर भाजपा को नहीं मिली तो यह सब सुनिश्चित करना मुश्किल होगा। इसलिए आज गरीब और पिछड़े समाज को एक साथ लामबंद होकर परिवर्तन लाने की जरूरत है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि काशी मेरा गौरव न करे, काशी की जनता ने मुझे चुनकर भेजा है इसलिए मुझे काशी का गौरव है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूर्वांचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री शाह ने राजभर समाज के महान वीरयोद्धा राजा सुहलदेव की वीरता का उल्लेख करते हुए कहा कि मुहम्मद गजनवी ने जब सैयद सालार मसूद को यहां आक्रमण के लिए भेजा तो महान योद्धा राजा सुहलदेव ने उसे परास्त किया। वास्तव में राजा सुहलदेव के कारण ही देश को विदेशी आक्रांताओं से मुक्ति मिली। पूरा देश राजा सुहलदेव के राष्ट्रप्रेम का सम्मान करता है। आज उनके प्यार में हम सब यहां उपस्थित होकर इस पुण्य आत्मा को प्रणाम करने आए हैं। इस अवसर पर राजभर समाज के नेता श्री अनिल राजभर अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। ■

मोदी सरकार ने मुद्रा बैंक की स्थापना की घोषणा कर एक बड़ा काम किया है। आज बड़े-बड़े उद्योगों को तो आसानी से लोन मिल जाता है लेकिन गरीबों को कोई लोन नहीं देता। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने मुद्रा बैंक योजना शुरु की है जिसके तहत कोई भी गरीब व्यक्ति पांच हजार रुपये से पांच करोड़ रुपये तक का लोन ले सकता है। जो व्यक्ति छोटा सा ठेला चलाता है उसे भी लोन मिलेगा और जो रिक्शा चलाता है उसे भी लोन मिलेगा। अगर किसी गरीब युवा को दुकान खोलनी है तो उसे भी पांच लाख रुपये लोन मिलेगा।

संगठनात्मक गतिविधियां : सदस्यता अभियान

'सात करोड़ से अधिक सदस्य बन चुके हैं भाजपा के'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गुजरात के प्रभारी एवं अखिल भारतीय सदस्यता प्रमुख डॉ0 दिनेश शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि सभी प्रदेशों में भाजपा की वर्तमान सक्रिय सदस्यता में अधिकतम 50 प्रतिशत तथा प्राथमिक सदस्यता में तीन गुने की वृद्धि का लक्ष्य है।

सक्रिय सदस्य बनाने के लिए एक कार्यकर्ता को कम से कम 100 प्राथमिक सदस्य बनाने होंगे, इस हेतु एक सीट का उपयोग करना है, जिसमें सदस्य बनने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाईल नं0 सदस्यता न0 जो फोन नं0 1800-266-2020 को डायल करने के बाद मोबाईल SMS के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसे सदस्य बनाने वाले कार्यकर्ता को लिखना होगा, 100 सदस्यों का विवरण पूर्ण होने पर उसे हस्ताक्षरित करके सदस्यता प्रमुख/मण्डल अध्यक्ष के पास जमा कराना होगा, संगठन के द्वारा प्रमाणित होने पर वह सक्रिय सदस्य के लिए योग्य होगा। सक्रिय सदस्यता 5 मार्च से प्रारम्भ की गई है।

सदस्यता ऑनलाइन कम्प्यूटर पर शुल्क सहित तथा मोबाइल द्वारा नि:शुल्क है। सभी को इन्हीं से सदस्यता करनी है। जिन प्रदेशों के कुछ स्थानों पर मोबाईल नेटवर्क नहीं हैं, वहां रसीद से सदस्य बनाने की पुरानी पद्धति का उपयोग शुल्क सहित किया जा सकता है। प्रत्येक पहले से बने पुराने सदस्यों की सदस्यता का भी नवीनीकरण किया जा रहा है।

1 नवम्बर 2014 से प्रारम्भ सदस्यता महाभियान 31 मार्च 2015 तक चलेगा, वर्ष 2015 को सदस्यता पर्व के रूप में पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता मनायेंगे। अप्रैल, मई माह में सदस्यता सूची तैयार करके घर-घर सदस्यता परिचय पत्र कार्यकर्ता देंगे। तथा जून, जुलाई और अगस्त 2015 में सभी नये बने सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का विचार है।

सक्रिय सदस्य बनने के लिए दो साल में सात दिन का समय कार्यकर्ता को देना है।

मार्च माह में पूरे देश में विशेष सदस्यता ''बूथ चलो अभियान'' में भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं अनुसूचित मोर्चा की विशेष भूमिका रखी गई है।

प्रदेशों में निचले स्तर तक कार्यशालायें तथा विभिन्न कार्यक्रमों को पूर्ण कर लिया गया है। उपरोक्त बूथ चलो अभियान में प्रमुख व्यक्तियों के साथ-साथ प्रत्येक वर्ग को जोड़ना है, इस हेतु जिले/प्रदेश/राष्ट्र का कोई न कोई पदाधिकारी कार्यक्रमों में अवश्य सम्मिलित होगा। पूरे मार्च माह में घर-घर जाकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, सदस्य बनाने का विशेष अभियान चलायेंगे।

सदस्यता कार्यक्रमों में मा0 सांसद, विधायक, मा0 महापौर, नगर जिला पंचायत/नगर निगम के जनप्रतिनिधि/प्रदेश/जिलों के संगठन पदाधिकारियों के कार्यक्रम द्वितीय चरण में पुन: लगाये जा रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधियों को भी बढ़-चढकर सदस्यता महाभियान में अपने-अपने क्षेत्रों में लगना है।

सदस्यता महाभियान के अखिल भारतीय सदस्यता प्रमुख भारतीय जनता

पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं गुजरात के प्रभारी डॉ0 दिनेश शर्मा ने बताया कि सम्पूर्ण देश के विभिन्न प्रान्तों में से सत्रह प्रान्तों में वह स्वयं तथा अन्य प्रदेशों में अलग से सह-सदस्यता प्रमुख प्रवास कर रहे हैं तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह स्वयं एवं अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारी भी विभिन्न प्रान्तों का भ्रमण करके सदस्यता अभियान को गति प्रदान कर रहे हैं। अधिकांश प्रदेशों में ''बूथ चलो अभियान'' का प्रथम, दितीय चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका है। उ0प्र0, महाराष्ट्र, दिल्ली, बंगाल, असम, गुजरात, राजस्थान, म0प्र0, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आन्ध प्रदेश, बिहार आदि प्रदेशों में सदस्यता अभियान की गति अन्य प्रदेशों की

अपेक्षा अधिक है। एक नवम्बर से मा0 प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सदस्यता का नवीनीकरण करने के बाद से 16 मार्च 2015 तक सात करोड़ बीस लाख से ऊपर सदस्य रजिस्टर्ड हो गये हैं तथा बारह करोड़ पांच लाख से ऊपर व्यक्तियों ने मिस्ड कॉल करके सदस्य बनने की कोशिश की, लेकिन वे रजिस्टर्ड नहीं है। जहॉ मोबाईल नेटवर्क नहीं है उन जगहों पर पुरानी पद्धति रसीद बही से 66 लाख सदस्य बने हैं। उ0प्र0 तथा उत्तराखंड को मिलाकर लगभग एक करोड़ बत्तीस लाख, गुजरात 82 लाख, दिल्ली 36 लाख, म0प्र0 व छत्तीसगढ़ मिलाकर 80 लाख, हरियाणा 19 लाख, पंजाब 14 लाख, बंगाल 28 लाख, आन्ध्र प्रदेश 17 लाख, तमिलनाडु 23 लाख, राजस्थान में 45 लाख तथा कर्नाटक में 56 लाख, उड़ीसा में 22 लाख सदस्य बन चुके हैं। अन्य राज्यों की प्रगति भी संतोषजनक है।

जिन प्रदेशों में मोबाईल नेटवर्क नहीं है, वहां परम्परागत विधियों से सदस्य बहियों के माध्यम से भी सदस्यता की गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सदस्यता प्रमुख डॉ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया से संबंधित कार्यकर्ताओं की भी अखिल भारतीय तथा तमाम प्रदेशों में कार्यशालायें आयोजित की जा चुकी है। प्रदेशों में स्थापित प्रदेश व जिलों के कन्ट्रोल रूम प्रतिदिन जिलों की मानीटरिंग कर रहे हैं। भा.ज.पा. की सदस्यता शीघ्र ही किसी भी देश के लोकतांत्रिक तरीके से गठित राजनैतिक दल के सदस्यों की संख्या से अधिक हो जाएगी। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के प्रति पूरे देश में जबरदस्त उत्साह है, जहां पूरे वर्ष चले सदस्यता अभियान में पिछली सदस्यता 3 करोड़ के लगभग थी, वहीं एक नवम्बर 2014 से प्रारम्भ इस 151 दिनों तक चलने वाले सदस्यता महाभियान में मात्र प्रारम्भिक एक माह (30 दिन) में एक करोड़, अगले 22 दिनों में एक करोड़ से अधिक, मात्र तेरह दिनों में एक करोड़, अगले 16 दिनों में एक करोड़ से अधिक पुनः 18 दिनों में 1 करोड़ से अधिक, 21 दिनों में एक करोड़, अगले 15 दिनों में एक करोड़ इस तरह 16 मार्च तक मोबाइल द्वारा रजिस्टर्ड सदस्यों की संख्या सात करोड़ बीस लाख से ऊपर पहुंच गई है, जिसमें मोबाइल नेटवर्क न होने वाले स्थलों में रसीद बही से बने सदस्य तथा कम्प्यूटर पर ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण वाले तथा मिस्ड काल के सदस्यों की संख्या सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले एक करोड़ की संख्या पार की है। राष्ट्रीय सदस्यता प्रमुख डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में तमाम कार्यकर्ताओं ने अकेले हजारों की संख्या में सदस्य बनाये हैं। राजस्थान, जोधपुर के श्री सागर जोशी, बलसाड के श्री चेतन पटेल, सूरत के श्री सी.आर. पाटिल ने अकेले 5000 से ऊपर सदस्य बनाये हैं। ■

पृष्ठ 10 का शेष...

गौरतलब है कि पिछले 28 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। श्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं इस यात्रा के महत्व के प्रति सजग हूं। यह 1987 के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति सिरिसेना के साथ उनकी बैठक बेहद सफल रही। उन्होंने कहा कि इससे मुझे हमारे रिश्तों के भविष्य के बारे में भरोसा और उम्मीद दिखती है।

उन्होंने कहा कि हमारे सीमाशुल्क विभागों के बीच आज हुआ समझौता इसी दिशा में एक कदम है। इससे व्यापार सुगम होगा और दोनों तरफ गैर-शुल्क बाधाएं घटेंगी। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों द्वारा की गई प्रगति से मजबूत आर्थिक सहयोग की साझा प्रतिबद्धता जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि हमारे व्यापार में पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत त्रिंकोमाली को पेट्रोलियम का बडा केंद्र बनाने में मदद के लिए तैयार है।

साथ ही उन्होंने घोषणा की कि नयी दिल्ली रेलवे क्षेत्र में श्रीलंका के लिए 31.8 करोड डालर तक की नयी ऋण सुविधा मुहैया कराएगा। इसका उपयोग रेलवे के लिए इंजिन, डिब्बे तथा अन्य जरुरी सामान (रोलिंग स्टाक) खरीदने और मौजूदा रेलवे ट्रैक की मरम्मत और उन्नयन के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक आफ श्रीलंका 1.5 अरब डालर का मुद्रा अदला-बदली समझौता करने पर सहमत हो गए हैं ताकि श्रीलंकाई रुपये में दूसरी मुद्राओं के मुकाबले घट-बढ़ को स्थिर रखने में मदद मिल सकेगी।

उन्होंने नव-निर्वाचित राष्ट्रपति सिरीसेना के प्रयासों की प्रशंसा की और उन्हें भारत से मदद के प्रति आश्वस्त किया। श्री मोदी ने कहा कि हम भविष्य निर्माण की आपकी उन सभी कोशिशों में आपके साथ है जिसमें श्रीलंकाई तमिल समुदाय समेत समाज के हर वर्ग की आकांक्षा शामिल हो जिससे कि एकजुट श्रीलंका में समानता, न्याय, शांति और सम्मानजनक जीवन हो। हमारा मानना है कि 13वें संशोधन के जल्द और पूर्ण कार्यान्वयन और इसके आगे जाना भी इस प्रक्रिया में योगदान करेगा। ■

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों के नाम घोषित

178 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, श्री वेंकैया नायडू, श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन गडकरी, श्री अरुण जेटली एवं श्रीमती सुषमा स्वराज शामिल हैं। भाजपा के सभी मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों को 27 स्थायी आमंत्रित सदस्यों में शामिल किया गया है तथा 40 विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा की गई है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की पूरी सूची निम्नलिखित है-

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 12 मार्च को पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों, स्थायी, आमंत्रित सदस्यों व विशेष आमंत्रित सदस्यों के नामों की घोषणा की। इसके साथ ही विधानसभा व विधान परिषद में पार्टी के नेता, सभी प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश संगठन, महामंत्री बैठक में रहने वाले संगठन मंत्रीगण भी राष्ट्रीय कार्यसमिति में विशेष आमंत्रित होंगे।

सदस्य

1. श्री नरेन्द्र मोदी
2. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
3. श्री लालकृष्ण आडवाणी
4. डॉ. मुरली मनोहर जोशी
5. श्री राजनाथ सिंह
6. श्रीमती सुषमा स्वराज
7. श्री अरुण जेटली
8. श्री एम. वेंकैया नायडू
9. श्री नितिन गडकरी
10. श्री अनन्त कुमार
11. श्री थावरचन्द गहलोत
12. श्री जगत प्रकाश नड्डा
13. श्री रविशंकर प्रसाद
14. श्री यशवंत सिन्हा
15. श्री कलराज मिश्रा
16. श्री विनय कटियार
17. श्री राधामोहन सिंह
18. डॉ. सी.पी. ठाकुर
19. श्री जुआल ओराम
20. श्री एस.एस. अहलूवालिया
21. श्री मुख्तार अब्बास नकवी
22. श्री बंडारू दत्तात्रेय
23. श्री धर्मेन्द्र प्रधान
24. श्री राजीव प्रताप रूडी
25. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा
26. श्री हुकुमदेव नारायण यादव
27. श्री प्रकाश जावडेकर
28. श्री एल. गणेशन
29. श्री लालजी टंडन
30. श्री ओ. राजगोपाल
31. श्री तथागत राय
32. श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी
33. श्री गुलाबचंद कटारिया
34. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
35. डा. हर्षवर्धन
36. श्री तापिर गांव
37. श्री वरुण गांधी
38. श्री पीयूष गोयल
39. श्री विजय गोयल
40. श्री सतपाल महाराज
41. श्री विष्णुभूषण हरिचंदन
42. श्री बिजॉय महापात्रा
43. जन. (से.नि.) वी.के सिंह
44. श्री बिरेन्द्र सिंह
45. श्री सुरेश प्रभु
46. श्री पी.के. कृष्ण दास
47. श्री विनोद पाण्डे
48. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
49. श्री रामेश्वर पी. चौरसिया
50. श्रीमती आरती मेहरा
51. श्रीमती लुइस मरांडी
52. श्री वी. षणमुखनाथन
53. कैप्टन अभिमन्यू
54. श्रीमती निर्मला सीतारमन
55. श्री ओमप्रकाश धनकड़
56. डा. संजय पासवान
57. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
58. डॉ. चंदन मित्रा
59. श्री विनोद खन्ना
60. श्री रामदास अग्रवाल
61. डॉ. महेश चंद्र शर्मा
62. श्री ओम प्रकाश माथुर
63. योगी अदित्यनाथ
64. श्री सुरेश पुजारी
65. श्री अनिल माधव दवे
66. श्री नितिन भाई पटेल
67. श्री नवजोत सिंह सिद्धू
68. श्री शेषाद्रि चारी
69. श्री सत्यपाल जैन

70. श्रीमती शोभा सुरेन्द्रन
71. श्री अश्वनी कुमार चौबे
72. श्री शत्रुघ्न सिन्हा
73. श्री तरुण विजय
74. डा. अनिता आर्य
75. श्री जयप्रकाश अग्रवाल (सूर्या)
76. श्री श्रीपाद यशो नाईक
77. श्रीमती गौरी चौधरी
78. श्री अर्जुन मेघवाल
79. श्री हरबंश कपूर
80. श्री मनोज सिन्हा
81. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
82. श्री किरीट सौमया
83. श्री अविनाश राय खन्ना
84. श्री राजेन्द्र राठौर
85. डा. रमापति राम त्रिपाठी
86. श्री कैलाश विजयवर्गीय
87. श्री विजय भाई रूपानी
88. श्री अश्विनी शर्मा
89. श्री सुधीर मुंगंटिवार
90. श्री देवदास आपटे
91. श्री किरेन रिजीजू
92. श्री दिलीप राय
93. डॉ. जितेन्द्र सिंह
94. श्री हंसराज गंगाराम अहिर
95. श्रीमती मेनका गांधी
96. प्रो. रामशंकर कथीरिया
97. श्री रमेश बैस
98. श्री एकनाथ राव खडसे
99. श्री विनोद तावड़े
100. श्री पोन. राधाकृष्णन
101. श्री राव इन्द्रजीत सिंह
102. श्री कृष्णपाल गुर्जर
103. श्री राजवीर सिंह (रज्जू भैया)
104. श्री दुष्यंत सिंह
105. डॉ. महेश शर्मा
106. श्री रतन लाल कटारिया
107. श्री उदितराज
108. श्री संतोष गंगवार
109. श्री अशोक खजूरिया
110. श्री राजेन गोहाई
111. श्री सी.पी. राधाकृष्णन

स्थायी आमंत्रित

मुख्यमंत्री

1. श्री शिवराज सिंह चौहान
2. डॉ. रमन सिंह
3. श्रीमती वसुंधरा राज सिंधिया
4. श्रीमती आनन्दीबेन पटेल
5. श्री रघुवर दास
6. श्री देवेन्द्र गंगाधरराव फर्डनविस
7. श्री मनोहर लाल खट्टर
8. श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर

उप मुख्यमंत्री

9. श्री फ्रांसिस डिसूजा
10. डॉ. निर्मल सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री

11. श्री सुन्दर लाल पटवा
12. श्री शांता कुमार
13. श्री कैलाश जोशी
14. श्री मदन लाल खुराना
15. श्री मनोहर पर्रिकर
16. सुश्री ऊमा भारती
17. श्री प्रेम कुमार धूमल
18. श्री अर्जुन मुण्डा
19. श्री भगत सिंह कौशियारी
20. मेजर जनरल (से.नि.) बी.सी. खंडूरी
21. श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
22. श्री बाबू लाल गौर
23. श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा
24. श्री जगदीश शेट्टार

पूर्व उप मुख्यमंत्री

25. श्री सुशील कुमार मोदी
26. श्री के.एस. ईश्वरप्पा
27. श्री आर. अशोक

विशेष आमंत्रित

1. श्री थुपस्तन छेवांग
2. श्री रामटहल चौधरी
3. श्रीमती किरण खेर
4. श्री अरुण हलदार
5. श्री कमल बैरीवाल
6. श्री बाबुल सुप्रियो
7. श्री चेतन चौहान
8. श्री शमशेर सिंह मनहास
9. श्री जयभाल सिंह पवय्या
10. श्री गंगा प्रसाद
11. श्री के.जे. अल्फांसो
12. श्री सोमू वीर राजू
13. श्री पी. चन्द्रशेखर राव
14. श्री सी.टी. रवि
15. श्री लद्धाराम नागवानी
16. श्री अशोक धवन
17. श्री महेन्द्र सिंह
18. श्री अरविन्द लिम्बावली
19. श्री सुरेश ओबरॉय
20. श्री रामचन्द्र राव
21. श्री मंगल प्रभात लोढ़ा
22. श्री विष्णुदेव साय
23. श्री सर्वानन्द सोनवाल
24. श्री एस.पी. सिंह बघेल
25. श्री चन्द्र मोहन पटवारी
26. श्री सरयू राय
27. श्री आर.एस. पाण्डे
28. श्री रमेश चंद तोमर
29. साध्वी निरंजना ज्योति
30. श्री सत्येन्द्र नारायण कुशवाहा
31. श्री मदन कौशिक
32. डॉ. हरमोहन धवन
33. श्री किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी
34. श्री विष्णुपद राय
35. श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
36. श्री आर. रामकृष्णनन
37. श्री रविकांत गर्ग
38. श्री विजय सांपला
39. श्री केशव प्रसाद मौर्या
40. श्री गोविन्द करजोल

■

सरकार की उपलब्धियां : मोदी सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा

दिल्ली सहित सभी केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस फोर्स में अब होंगी 33 प्रतिशत महिलाएं

केन्द्र की मोदी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब महिलाओं को पुलिस बल में नियुक्ति के लिए 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल में कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर रैंक तक महिलाओं के लिए 33 फीसदी रिजर्वेशन देने का फैसला कर लिया है।

20 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला किया गया। कैबिनेट के इस फैसले की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी नई भर्तियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का नियम लागू हो जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है, इस कोटे में इस वर्ग की महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित होंगा। सरकार के इस फैसले के बाद देश में सात केंद्रशासित प्रदेश यानी दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्ष्यद्वीप, पुडुचेरी में महिलाओं को पुलिस बल में 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा। सरकार ने कहा कि इस फैसले से महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा होगा और वह संरक्षण एवं सहायता के लिए पुलिस के पास जाने में नहीं हिचकिचाएंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की बढ़ती मांग के बीच सरकार ने यह फैसला किया है।

जे एस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के बाद आपराधिक कानूनों में बदलाव का जिक्र करते हुए सरकार ने एक बयान में कहा कि महिलाओं के संरक्षण के मकसद से बनाए गए कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू कराने में प्रमुख बाधा एक 'अकड़ भरा पुलिस बल' है। सरकार ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी आरक्षित श्रेणियां भी आरक्षण के इस दायरे में आएंगी। सरकार ने यह भी कहा कि इस फैसले से सभी केंद्रशासित प्रदेशों एवं दिल्ली के पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे पुलिस बल महिलाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनेगा।

खनिज विधेयक को मिली संसद की मंजूरी

ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार की दिशा में मोदी सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। संसद के दोनों सदनों ने 20 मार्च को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक-2015 पारित कर दिया। संसद से पारित यह बिल 57 साल पुराने खान और खनिज कानून की जगह ले लेगा। नए कानून के प्रभावी हो जाने के बाद खनिजों की ई-नीलामी का भी रास्ता साफ हो गया है।

इससे खनिजों के आवंटन में अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता आएगी। राज्यसभा में बिल 69 के मुकाबले 117 मतों से पारित हुआ। प्रवर समिति की सिफारिशों के साथ खनिज बिल को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां से उसे मंजूरी मिल गई। दोपहर बाद राज्यसभा से पास इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया, जहां से वह पारित हो गया। संसद के दोनों सदनों से पारित यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप ले लेगा।

खनन मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विधेयक में खनन से प्राप्त राजस्व का उपयोग स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए करने के साथ ही सरकारों की विवेकाधीन शक्तियों का समाप्त करने की दिशा में पहल की गई है। विवेकाधीन शक्तियों के चलते भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रही हैं। विधेयक में राज्यों को कई अधिकार दिये गये हैं। इसके माध्यम से मूल अधिनियम में नयी अनुसूची जोड़ी गई है तथा बाक्साइट, चूना पत्थर, मैगनीज जैसे कुछ खनिजों को अधिसूचित खनिजों के रुप में परिभाषित किया गया है। इसमें खनन लाइसेंस की नई श्रेणी भी बनाई गई है।

कोयला विधेयक भी राज्य सभा में पारित

कोयला ब्लॉक नीलामी प्रक्रिया के लिए जरूरी माने जाने वाला कोयला बिल 20 मार्च को राज्यसभा में पारित हो गया है। इस बिल को लोकसभा ने पहले ही पारित कर दिया था। कोयला ब्लॉकों की नीलामी अप्रैल माह के अंत में या मई माह के शुरुआत में हो सकती है जिसमें 15 से 20 और कोयला ब्लॉक की नीलामी की जा सकती है। हालांकि यह काम तभी संभव था जब कोयला विधेयक राज्यसभा में पारित हो जाता या इस संबंध में अध्यादेश फिर से जारी किया जाता। ■

बीमा क्षेत्र में 49 फीसद विदेशी निवेश को मंजूरी

बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने संबंधी विधेयक को राज्य सभा से 12 मार्च को मंजूरी मिल गई। सरकार की आर्थिक सुधार नीतियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लोक सभा से बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2015 पहले ही पारित हो चुका है। अब घरेलू बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा मौजूदा 26 फीसद से बढ़ाकर 49 फीसद करने का रास्ता साफ हो गया है। अब कई विदेशी बीमा कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक को लेकर पिछले दस वर्षों से राजनीतिक दलों के बीच रस्साकशी चल रही थी। बीमा कानून (संशोधन) विधेयक के पारित होने के साथ ही बीमा कानून 1938, साधारण बीमा (राष्ट्रीयकरण) विधेयक 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक 1999 में भी संशोधन कर दिया गया है।

– : मुख्य बातें :–

- बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने से पूंजी आएगी।
- इस बीमा कानून से जल्द ही 20 हजार करोड़ रूपए के निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि 2015 के अंत तक बीमा क्षेत्र में करीब 40-60 हजार करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है।
- देश में वर्ष 2013 तक बीमा बाजार 66.4 अरब डॉलर का था, जो 2020 तक 350 से 400 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। बीमा बाजार सही रफ्तार से बढ़ा तो 2020 तक देश के 75 करोड़ लोग बीमा कवरेज के दायरे में आ जाएंगे।
- चूंकि बीमा सेक्टर में निवेश लंबी अवधि के होते हैं। इसलिए सरकार के पास लंबी अवधि के लिए फंड इकट्ठा हो जाता है। यह फंड देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के काम आता है।
- चूंकि बैंक लंबी अवधि की परियोजनाओं की वजह से इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ज्यादा फंड नहीं देता है इसलिए बीमा कंपनियों की ओर से मिलने वाला कर्ज काम आता है। देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फंड की कमी को देखते हुए बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाना काफी मददगार साबित होगा।
- कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वह ग्राहक को सुविधाओं और लाभ का ऑफर देकर लुभाएंगी।
- बीमा क्षेत्र के एजेंट की नियुक्ति अब इरडा की बजाय बीमा कंपनियां करेंगी। इससे कंपनियां अच्छी संख्या में एजेंट रख सकेंगी।
- एजेंट रखने के प्रावधान में बदलाव के कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा बीमा क्षेत्र के प्रसार में मदद मिलेगी।
- विदेशी निवेशक भारतीय बीमा कंपनी से सीधे उसकी 49 फीसदी तक की हिस्सेदारी खरीद सकेंगे। शेयर बाजार से भी कंपनी के 49 प्रतिशत तक की खरीद की छूट दे दी गई है।
- निवेशक प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो रूट अथवा दोनों में से किसी को भी अपना सकेगा।
- देश की बीमा कंपनी में 26 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के लिए विदेशी निवेशक को फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की अनुमति लेनी होगी।
- बीमा संशोधन विधेयक के कानून की शक्ल लेने के बाद विशेषज्ञ इसे मोदी सरकार के पहले आर्थिक सुधार के चरण के तौर पर देख रहे हैं।
- भारत दुनिया के बड़े बीमा बाजारों में से एक है। देश में 52 इंश्योरेंस कंपनी हैं लेकिन पूरी आबादी की 25 फीसदी को सामान्य बीमा कवरेज हासिल है। इस लिहाज से भारत में बीमा बाजार की भारी संभावना है। ■

सरकार की उपलब्धियां

लोकसभा में भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक पारित

लोकसभा में 10 मार्च को भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। नौ संशोधनों के साथ बिल लोकसभा में पारित हुआ। केंद्र सरकार ने पहले संशोधन में खेती योग्य भूमि को अधिग्रहित करने का भी प्रस्ताव शामिल किया था। लेकिन अब लोकसभा में लाए गए बिल में संशोधन कर दिया गया है। अब बहुफसली भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के लिए सीमित जमीन लिए जाने का फैसला लिया गया है। इससे किसानों के एक बड़े वर्ग को राहत मिलेगी।

बहुचर्चित व महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक लोक सभा में पारित हो गया। नौजवानों को रोजगार देने के अलावा देश की आधारभूत ढांचा मजबूत करने तथा देश के तीव्र विकास हेतु भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। यह संशोधन विधेयक अव्यवहार्य 'भूमि अधिग्रहण कानून 2013' की जगह पर लाया गया है। लोकसभा में पास किए गए इस बिल के मुताबिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए होने वाले अधिग्रहण में किसानों की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में अधिग्रहण के लिए पंचायत की सहमति जरूरी होगी। इस संशोधन विधेयक के अनुसार किसानों को अपील का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अब वे अधिग्रहण के

पहले चले आ रहे भूमि अधिग्रहण कानून में प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान था लेकिन किसी को नौकरी नहीं दी जाती थी। संशोधन के बाद लोकसभा में पास हुए बिल में प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने फैसला कर लिया है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए अब रेलवे ट्रैक और हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ एक किलोमीटर तक की जमीन का अधिग्रहण होगा। संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल के मुताबिक बंजर जमीनों के लिए अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा।

शेष पृष्ठ 30 पर

ये हैं नौ संशोधन :

1. सरकार सामाजिक आधारभूत सुविधाओं मसलन-स्कूल और अस्पताल के लिए जमीन लेने से पहले 70 फीसदी किसानों की पूर्व अनुमति लेने को जरूरी बनाने पर राजी हो गई है।
2. जिन सामाजिक सुविधाओं के लिए जमीन दी जाएगी, उनका समाज पर क्या असर पड़ा, इसके आकलन को जरूरी बनाने पर भी सरकार सहमत हो गई है।
3. जिन किसानों की जमीन ली जाएगी, उनकी शिकायतों को दूर करने की बेहतर व्यवस्था और जमीन अधिग्रहण से बेरोजगार हुए लोगों के रोजगार की व्यवस्था करने से जुड़े संशोधन को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
4. सरकार इस पर भी राजी हो गई कि किसी परियोजना के लिए कम से कम जमीन का अधिग्रहण हो और कितनी जमीन ली जाए, यह राज्य सरकार ही तय करे।
5. इसके अलावा औद्योगिक गलियारों का क्षेत्रफल तय करने संबंधी संशोधन को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ताकि उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जमीन लेने की छूट न मिल जाए।
6. निजी परियोजना की परिभाषा बदलने पर भी सरकार तैयार है ताकि कोई इस सुविधा का गलत फायदा न उठा ले।
7. राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे लाइनों के दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर तक ही जमीन का अधिग्रहण किया जा सकेगा।
8. किसानों को अपने जिले में शिकायत या अपील करने का अधिकार होगा।
9. बंजर जमीन का अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा।

चिति– राष्ट्र का केन्द्र बिन्दु

✍ पंडित दीनदयाल उपाध्याय

भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार्यता की चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। औपनिवेशिक शासन ने न केवल भारतीय सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति के सामने चुनौतियां प्रस्तुत कीं, बल्कि भारत की सामूहिक एकता के संदर्भ में बौद्धिक संकट भी खड़े किए। दुर्भाग्य से बहुत से भारतीय 'राष्ट्र' की पश्चिमी अवधारणा के प्रभाव में आकर इसके विकृति अर्थों से बच न सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय संदर्भ में इसकी बौद्धिक व सांस्कृतिक परिभाषा दी। 'हमारी राष्ट्रीयता' शीर्षक से प्रकाशित उनके विचारों को हम दो भागों में प्रकाशित कर रहे हैं ताकि 'राष्ट्र' की अवधारणा स्पष्ट हो सके। हमारे सुधी पाठकों के लिए इसका अंतिम भाग निम्न है:

चिति मूलाधार है और आरम्भ से ही राष्ट्र का केन्द्रबिन्दु होता है। चिति से दिशा निर्धारित होती है कि राष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से किस दिशा की ओर बढ़ना है। जो कुछ भी चिति के अनुरूप होता है उसे संस्कृति में शामिल किया जाता है।

जागरूक राष्ट्र का 'विराट'

हमें अपने देश को 'विराट' बनाने के कार्य में जुटना होगा। हमें इस काम को अपनी विरासत के गर्व के भाव से आगे बढ़ाना होगा जिसमें वर्तमान के वास्तविक निर्धारण एवं भविष्य की महत्वाकांक्षा का ध्यान रखना होगा। हम इस देश को ऐसा बनाना चाहेंगे जिससे यह किसी दूरगामी भूत की छाया न दिखे, न ही यह रूस या अमरीका की नकल दिखाई पड़े।

हमारी राष्ट्रीय पहचान

यह आवश्यक है कि हम अपनी राष्ट्रीय पहचान पर विचार करें। बिना इस पहचान के स्वतंत्रता का कोई अर्थ रह नहीं जाता है, न ही स्वतंत्रता प्रगति एवं हर्ष-आह्लाद का साधन बन सकता है। जब तक हम अपनी राष्ट्रीय पहचान से दूर रहते हैं तब तक हम अपनी सभी संभावनाओं न तो पहचान या तैयार कर सकते हैं। विदेशी शासन में यह पहचान दबा दी जाती है। इसीलिए राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहते हैं ताकि वे अपनी स्वाभाविक झुकाव के अनुकूल प्रगति कर सकें और अपने इस प्रयास में हर्षोल्लास का अनुभव कर सकें। प्रकृति शक्तिशाली है। प्रकृति के विरुद्ध जाने का प्रयास या इसकी उपेक्षा करना मुसीबतों को जन्म देता है। स्वाभाविक अन्तर्भावों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। किन्तु इस प्रकृति को संस्कृति के स्तर तक ऊंचा उठाया जा सकता है। मनोविज्ञान हमें दर्शाता है कि किस प्रकार से विभिन्न स्वाभाविक अन्तर्भावों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। किन्तु इस प्रकृति को संस्कृति के स्तर तक ऊंचा उठाया जा सकता है। मनोविज्ञान हमें दर्शाता है। कि किस प्रकार से विभिन्न स्वाभाविक अन्तर्भावों को दबाने से मानसिक अस्तव्यस्तता जन्म लेने लगती है। इस प्रकार का व्यक्ति बेचैन और निराश रहता है। उसकी योग्यताएं धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है और विकृत रूप धारण कर लेती हैं। व्यक्ति की तरह ही राष्ट्र भी स्वाभाविक अन्तर्भावों की उपेक्षा के कारण अनेकानेक बुराइयों का शिकार होता है। भारत के सामने मूलभूत समस्या उसकी अपनी राष्ट्रीय पहचान है।

राष्ट्रीय गौरव की शर्तें

यदि हमें राष्ट्र को गौरव के शिखर पर ले जाना है तो हमें दो शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली बात तो यही है कि हमारा यह गौरव अपने राष्ट्रीय प्रयास का परिणाम होना चाहिए। इसके लिए पूरे राष्ट्र की कार्य क्षमता को संगठित करना होगा। यदि हम यह शर्त पूरी कर लें तो भारत की समृद्धि वास्तविक मानी जाएगी। बात यह है कि संगठित क्षमता के आधार पर हमें धर्म की भी रक्षा करनी होगी। स्वयं में संगठित शक्ति पर्याप्त नहीं होती है। हो सकता है कि चोरों का भी मजबूत संगठन हो, परन्तु यह न तो स्थायी या लाभप्रद हो सकता है,

अत: आवश्यक है कि हम गौरव पर विजय प्राप्त करते हुए अपनी संगठित शक्ति से धर्म की रक्षा करें।

यूरोपीय राष्ट्रवाद विनाशकारी

यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद ने तबाही मचा दी। परन्तु इस कारण भारतीय राष्ट्रवाद को विनाशकारी बताना तो ऐसा ही होगा जैसे दूध का जला छाछ को फूंक-फूंककर पीता हौ। यह मानना गलत होगा कि हमारा राष्ट्रवाद भी इन्हीं राष्ट्रों की तरह मुसीबत खड़ी करने वाला होगा। यह कोई मात्र दावा नहीं है बल्कि यह सच्चाई है और हमारा यह सच भारतीय इतिहास के हजारों वर्षो से चला आ रहा है। लगभग हजारों वर्षो से विश्व के इन देशों का इतिहास विनाशकारी दृश्यों से भरा पड़ा है। जबकि भारत के लंबे इतिहास में एक भी ऐसा पृष्ठ नहीं मिलता है जिसमें मानव को दुख का कारण बताया गया हो। भारत का पूरा इतिहास पूरे विश्व के लिए सद्भावना से भरा पड़ा है। विश्व के विभिन्न भागों में प्राप्त भारतीय इतिहास के अवशेष आज तक इस सच्चाई को बताते हैं कि भारत ने पूरे विश्व को अच्छाई पर ले जाने का काम किया है। अत:, सच्चाई यही है कि यदि विश्व को पश्चिमी राष्ट्रवाद के पारस्परिक विवादों, घृणा और प्रतियोगिता के कारण बचाना है तो हमें भारतीय राष्ट्रवाद को संगठित और सुदृढ़ करना होगा। इस प्रकार से यह विश्व के लिए अच्छा होगा।

राष्ट्रवाद बनाम धर्म

ब्रिटिश शासन काल में, हमने माना है कि इस देश में विभिन्न प्रकार के समुदाय है, जैसे मुस्लिम और ईसाई-। वास्तव में, राष्ट्रीय स्तर पर उन के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करना एक बहुत बड़ी गलती रही है क्योंकि धर्म के आधार पर मुस्लिम और ईसाई जैसे वर्गो में समाज को विभाजित करना राष्ट्रवाद के खिलाफ है। एक ही धर्म के अनुयायी विभिन्न राष्ट्रों के नागरिक हो सकते हैं, जबकि एक ही राष्ट्र में अनेक धर्मो के अनुयायी शामिल रहते हैं। यदि राष्ट्रवाद का पर्याप्त दृढ़ भाव हो तो धर्म इसमें प्रदेश नहीं करता है। परन्तु आज हमारा प्रयास इन समुदायों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है और फिर हम उन्हें एकता में जोड़ने का प्रयास करते हैं। मजे की बात यह है कि कोई भी इस बात को नहीं समझ पाता है कि हम इन सबको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे।

भारत हमारी माता है

हमारे राष्ट्रवाद का आधार मात्र 'भारत' नहीं है किन्तु यह 'भारत माता' है। यदि माता शब्द हटा दे तो भारत मात्र एक भूमि का टुकड़ा यह रह जाएगा। हमारे और इस भूमि के बीच का सद्भाव तभी स्थापित होगा जब हम उससे 'मां' का सम्बन्ध बनाएंगे। किसी भी भूमि के टुकड़े को देश नहीं कहा जा सकता जब तक कि वहां के रहने वाले लोगों के बीच 'मां' और बेटे का सम्बन्ध न हो। यही देशभक्ति है। परन्तु देशभक्ति का मतलब केवल उस भूमि के टुकड़े से प्यार करना मात्र नहीं है। यह तो पक्षियों और पशुओं में भी होता है। शेर अपनी गुफा में रहता है और पक्षी भी हर सायं अपने घोंसलों में आ जाते हैं। परन्तु उन्हें हम देशभक्त नहीं कहते हैं। मानव भी अपने घरों के प्रति प्रेमभाव रखते हैं। परन्तु देशभक्ति के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं होता है, केवल उन्हीं लोगों को किसी खास देश का देशभक्त कहा जा सकता है जो एक जन होकर इकट्ठा रहते हैं। एक देश तभी बनता है जब उस विशेष देश का मां और बेटे की तरह वहां निवास करते हो। यह देशभक्ति होती है जो सदैव अमर रहती है।

अपने सम्बन्धों की सुरक्षा

इतने वर्षो की स्वतंत्रता के बावजूद भी हमारा देश शक्तिहीन क्यों है? आज भी क्यों गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और निराशा की भावना क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों हमारे राष्ट्रीय चरित्र का विघटन हो रहा है? क्यों हमारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक क्षेत्र निरन्तर गिरता चला जा रहा है और क्यों हमारा जीवन दिशाहीन होता जा रहा है? हम क्यों भटकते जा रहे हैं? नि:संदेह, इसका कारण यही है कि हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। नि:सदेह, यदि आपका आधार खो जाता है तो स्वाभाविक ही आप जल की तरंगों से खोखले हुए वृक्ष की तरह उखड़ कर भटक जाते हैं। इसका मतलब यही है कि आपको अपने राष्ट्रीय जीवन की सच्ची पहचान करनी होगी। राष्ट्रवाद की सच्ची भावना के बिना न तो राष्ट्रीय विकास सम्भव है, बल्कि स्वतंत्रता समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। हमारे राष्ट्र के युग में पुराने इतिहास में दर्शाए गए राष्ट्रवाद के भूल जाने के कारण ही यह दशा हुई है। इस गड्ढ़े से निकलने के लिए हमें राष्ट्र भाव को समझना होगा। यदि हम राष्ट्रीय विचारों और महत्वाकांक्षाओं को दृढ़ कर लें तो मजबूत शक्ति बन सकते हैं। राष्ट्रवाद की सच्ची पहचान से ही हम राष्ट्रीय जीवन का अर्थ समझ सकते हैं और फिर हमारा राष्ट्रीय जीवन शक्ति से भरपूर हो उठेगा। राष्ट्रवाद की इस सच्ची भावना से वंचित होकर हमारा राष्ट्र के रूप में विघटन ही होगा। ■

(सुधाकर राजे द्वारा संपादित पुस्तक "Pandit Deendayal Upadhyay A Profile" पुस्तक से साभार)

श्रद्धांजलि : डॉ. अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) पर विशेष

असीम जिजीविषा के धनी

संजीव कुमार सिन्हा

14 अप्रैल एक महत्त्वपूर्ण तिथि बन गयी है। इस दिन हर विचार के लोग समरस भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। ऐसा इसलिए कि यह तिथि डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, जिनका विराट व्यक्तित्व था। वे प्रसिद्ध चिंतक, समाज सुधारक, संगठक, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे जन-जन के मसीहा थे। विशेष रूप से उन्होंने शोषितों, वंचितों व पिछड़ों को आगे बढ़ने के विशेष अवसर सुनिश्चित किए और इन वर्गों के बीच उन्होंने जागृति पैदा की। उन्होंने समाज को तीन मूल मंत्र दिए - ''शिक्षित बनो-संगठित रहो-संघर्ष करो।'' स्वतंत्र भारत में उनके विचारों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई। वे अपने माता-पिता की चौदहवीं व अंतिम संतान थे।

संघर्ष के प्रतीक

अंबेडकर महार जाति में जन्मे थे, जिसे उस समय अछूत जाति मानी जाती थी। उनके दादा और पिता के ब्रिटिश सेना में थे, इसलिए उनकी प्राथमिक शिक्षा सैनिक स्कूल में हुई। सेवानिवृत्ति के बाद जब उनके पिता सतारा (महाराष्ट्र) में आकर बसे तो स्थानीय स्कूल में उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें कक्षा में एक कोने में अलग बैठने और शिक्षकों द्वारा उनकी किताबें न छूने जैसे हालातों से जूझना पड़ा।

प्रसिद्ध विद्वान

सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए अंबेडकर ने देश और दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात् एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1912 में राजनीति-विज्ञान और अर्थशास्त्र से स्नातक हुए। 1913 में पिता के देहांत के बाद बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एम.ए. करने के बाद वर्ष 1916 में पीएच.डी. की उपाधि हासिल की। 1920 में साप्ताहिक समाचार-पत्र 'मूकनायक' का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिनके द्वारा उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने बंबई के कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड इकॉनॉमिक्स में अध्यापन किया। इसी दौरान उन्होंने कुछ आर्थिक संसाधन जुटाए और वापस लंदन चले गए। वहाँ से विज्ञान में डॉक्टरेट और बैरिस्टरी हासिल करके वे स्वदेश लौटे।

कुशल संगठक

डॉ. अंबेडकर कुशल संगठक थे। उन्होंने वंचितों के उत्थान के लिए अनेक संस्थाएं बनाई। 1924 में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की स्थापना की। 1927 में 'बहिष्कृत भारत' समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। अछूतों को सार्वजनिक तालाबों से पानी भरने का अधिकार दिलाने के लिए 1927 में मुंबई के समीप कोलाबा के चौदार तालाब तक उन्होंने महार पदयात्रा का नेतृत्व किया। अगस्त 1936 में उन्होंने 'इंडिपेन्डेंट लेबर पार्टी' गठित की। 24 दिसम्बर 1932 को डॉ. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ। इस पैक्ट में अलग निर्वाचक मंडल के स्थान पर क्षेत्रीय और केंद्रीय विधानसभाओं में आरक्षित सीट जैसे विशेष प्रावधान किए गए। अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और दलितों के कल्याण की मांग उठाई।

संविधान निर्माता

देश की आजादी के बाद प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने डॉ. अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री का दायित्व सौंपा। 29 अगस्त 1947 को डॉ. अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया।

14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉ. अंबेडकर ने अपने समर्थकों के साथ एक धार्मिक समारोह का आयोजन किया। उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया।

6 दिसंबर 1956 को अंबेडकरजी का देहावसान हो गया। 1990 में डॉ. अंबेडकर की महान सेवाओं के लिए उन्हें मरणोपरांत 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। उनका जीवन समस्त भारतीयों के लिए प्रेरणादायी है। ■

संसद में बहसः राष्ट्रपति अभिभाषण

भारत के हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता : नरेन्द्र मोदी

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में राज्यसभा में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 मार्च को कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गंगा सफाई अभियान, सबके लिए घर, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, आदर्श ग्राम योजना जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार की नीतियों का विस्तार से जिक्र किया। हम उनके भाषण का सारांश यहां प्रकाशित कर रहे हैंः-

हम सभी को आदरणीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करना चाहिए। विभिन्न राज्यों में राजनीतिक स्थिति बदल गयी है। हमारी उस राज्य के प्रति भी उतनी ही जिम्मेदारी है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। इस देश की प्रगति के लिए यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और हम इसे निभाने में पीछे नहीं हटेंगे। कानून को अपना कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यहां पर यह भी बात होती है कि कुछ नया नहीं है, योजनाएं पुरानी हैं। यह मैंने उस सदन में भी कहा था और इस सदन में भी मुझे दोहराना पड़ रहा है। मुद्दा यह है कि समस्याएं पुरानी हैं। योजनाएं नई हैं, पुरानी हैं यह विवाद हमें दूर तलक ले जाएगा। चिंता समस्याओं की है, समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने की है। हम इस बात के विचार वाले नहीं हैं कि हम यहां बैठे हैं इसलिए ईश्वर ने सारा ज्ञान हमको दिया है। कोई पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता।

इसलिए यह सोच हमारी नहीं है। इस सदन ने कभी यह नहीं सुना होगा कि ट्रेजरी बेंच पर बैठ करके जो आज वहां बैठे हैं, उन्होंने कभी यह कहा हो कि इस देश को आगे बढ़ाने में किन्हीं औरों का भी योगदान था। जो आजादी के आदोलन का क्रेडिट किसी को देने को तैयार नहीं हैं, वे विकास की यात्रा में औरों की भागीदारी को कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन मैं हूं जिसने लाल किले से कहा था कि यह देश आगे ले जाने में अब तक की सभी सरकारों का योगदान है, अब तक के सभी प्रधान मंत्रियों का योगदान है, सभी राज्य सरकारों का योगदान है। हम तो यह भी सोच नहीं रखते हैं कि देश का जन्म 15 अगस्त, 1947 को हुआ था। यह देश सदियों से सहस्र वर्षो से बना हुआ है। ऋषियों – मुनियों ने, आचार्यों ने, शिक्षकों ने, किसानों ने यह देश बनाया है। सरकारों ने देश नहीं बनाया है। हम तो आते हैं, व्यवस्थाओं को चलाते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए कम से कम आप जिस नजरिए से जिए हो, उस नजरिए से हमें जीने के लिए मजबूर मत करो।

आपने योजनाओं के बारे में कहा। मैं जरा सुनाता हूं। मैं बहुत लम्बा जा सकता हूं, 1988, 1966 तक जा सकता हूं, लेकिन मैं उतना समय नहीं लूंगा। जब एन0डी0ए0 की सरकार थी, तब एक योजना थी, मल्टी परपज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोजेक्ट। आप आए, वह बन गई आधार, यू0आई0डी0ए0आई0। वही योजना नया रंग रूप लेकर आई। सम्पूर्ण ग्रामीण योजना, वाजपेयी जी के समय थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके समय आई। अटल जी के समय योजना थी, फ्रीडम ऑफ इंफार्मेशन एक्ट। आप आए, राइट- टू – इंफार्मेशन एक्ट हो गया। अटल जी के समय था सर्व शिक्षा अभियान क्लॉज 36 कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट... आपने राइट ऑफ चिल्ड्रन टु फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट कर दिया। अटल जी के समय था स्वर्णिम जयंती ग्राम स्वराज योजना, आप लाए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अटल जी के समय था टोटल सेनीटेशन कैम्पेन, आप

आए तो निर्मल भारत अभियान हो गया। अटल जी के समय था इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट एक्ट और आपने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट कर दिया।

राजनीतिक जीवन में अवधारणा के आधार पर निर्णय करने से कैसी गड़बड़ियां होती हैं। हम सिर्फ अवधारणा के आधार पर नहीं चल सकते। आप देखिए, आज लद्दाख को बीजेपी रिप्रजेंट करती है तो कन्याकुमारी को भी बीजेपी रिप्रजेंट करती है, कच्छ को अगर बीजेपी रिप्रजेंट करती है तो अरुणाचल प्रदेश भी बीजेपी रिप्रजेंट करती है। आप कभी सोचते थे कि ये हिंदी बेल्ट के लोग हैं। पर हम साउथ में भी सरकार बनाने में कभी सफल रहे हैं। कभी-कभी हम पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि उच्च वर्ण के लोग ही इस पार्टी में है, लेकिन मुझे देखने के बाद आपको यह विचार बदलना पड़ा होगा। ऐसे कुछ राज्य हैं, जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है। उनमें से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो या गुजरात हो। ये वे राज्य हैं जहां अधिकतम आदिवासी हैं और वहां पर आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी है।

जब एन0डी0ए0 की सरकार थी, तब एक योजना थी, मल्टी परपज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोजेक्ट। आप आए, वह बन गई आधार, यू0आई0डी0ए0आई0। वही योजना नया रंग रूप लेकर आई। सम्पूर्ण ग्रामीण योजना, वाजपेयी जी के समय थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके समय आई। अटल जी के समय योजना थी, फ्रीडम ऑफ इंफार्मेशन एक्ट। आप आए, राइट- टू - इंफार्मेशन एक्ट हो गया। अटल जी के समय था सर्व शिक्षा अभियान क्लॉज 36 कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट... आपने राइट ऑफ चिल्ड्रन टु फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट कर दिया। अटल जी के समय था स्वर्णिम जयंती ग्राम स्वराज योजना, आप लाए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अटल जी के समय था टोटल सेनीटेशन कैम्पेन, आप आए तो निर्मल भारत अभियान हो गया। अटल जी के समय था इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट एक्ट और आपने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट कर दिया।

आपको यह भी मालूम है कि गोवा, जहां ईसाई समाज के निर्णायक वोट हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से है। नागालैंड, जहां अधिकतम वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। जम्मू-कश्मीर, जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है, वहां आज हम सत्ता में भागीदार हैं। पंजाब, जहां सिख समाज निर्णायक है, वहां हम कई वर्षों से सत्ता में शामिल हैं। इसलिए कभी धरातल पर रह कर सोचें। आप जिन परसेप्शंस को लेकर बातें करते रहते हैं, वे बहुत पुरानी बातें हैं। वक्त? बदल चुका है।

''स्वच्छता अभियान'' को लें, क्या यह कॉर्पोरेट के लिए कार्यक्रम है, अमीरों के लिए है? ''जन-धन योजना'' में इस देश के गरीबों के बैंक एकाउंट खुले। क्या यह कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है? स्कूलों में टॉयलेट्स, ये कौन से स्कूल हैं? सरकारी स्कूल, जहां गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं, झुग्गी- झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जाते हैं। वहां टॉयलेट्स नहीं हैं, मैं टॉयलेट्स की बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। क्या यह अमीरों का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है? मैं सॉयल हैल्थ कार्ड की बात कर रहा हूँ। यह किस किसान के लिए है? जिस गरीब किसान के पास कम जमीन है। हम कोल ऑक्शन करते हैं और जो कोल ऑक्शन से पैसा आता है, वह इन्हीं राज्यों के पास जाएगा। क्योंकि कोयला उन्हीं के पास है और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। क्या यह अमीरों या कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए हो रहा है?

गंगा सफाई को लें। इस देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या, आर्थिक दृष्टि से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से गंगा के साथ जुड़ी हुई है। गंगा सफाई किसी के लिए श्रद्धा का विषय हो सकता है, गंगा सफाई किसी के लिए एनवायरनमेंट का विषय हो सकता है, लेकिन गंगा सफाई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है।

सारी दुनिया, समृद्ध से समृद्ध देश भी एक विषय पर फोकस कर के काम कर रहे हैं और वह है स्किल डेवलपमेंट। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अच्छे ढंग से इस दिशा में काम करें। अगर हुनर होगा, तो मैं समझता हूं कि इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हमारे देश का नौजवान एक बहुत बड़ी ताकत बन कर उभरेगा। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, हिंदुस्तान के सामान्य से सामान्य व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, के लिए यह फोकस करने वाला एक

कार्यक्रम है।

हाउसिंग फॉर ऑल। ये कौन लोग हैं, जिनके पास घर नहीं हैं। क्या ये कॉरपोरेट लोग हैं? ये गरीब लोग हैं। हमारी गरीब को घर देने की कोशिश है। हमारी कोशिश 3 करोड़ घर गांवों में और शहरों में 2 करोड़ घर बनाने की है। इसमें कोई राजकीय एजेंडा नहीं हो सकता है। यह इस सरकार का कार्यक्रम नहीं है। देश के गरीबों का कार्यक्रम है। लेकिन इस पूरे बजट में 42 परसेंट डिवॉल्यूशन राज्य को जाना, हमारे हिन्दुस्तान की इकोनॉमी को एक अलग तरह से देखना होगा। इतना बड़ा डिवॉल्यूशन हुआ है कि यदि ये पैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर में जाएं, विकास में लगें, तो आप देखिए वहां की इकोनॉमी जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। मैं आग्रह करूंगा, आप माननीय सदस्य राज्यों को रिप्रजेंट करते हैं, इतनी बड़ी अमाउंट जब राज्यों के पास गई है, तो उसका उपयोग सच्चे अर्थ में विकास में हो। इस बजट के अंदर एक 'मुद्रा' (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) योजना की बात कही गई है। हम देखते हैं कि अपने देश में सचमुच देश की इकोनॉमी कौन चलाता है, इस पर अध्ययन नहीं हुआ है। इस देश के जो सामान्य लोग हैं, वे रोजगार भी देते हैं, स्वरोजगार भी करते हैं और देश की इकानॉमी को भी चलाते हैं। ऑटोरिक्शा रिपेयर करने वाला होगा, ऑटोरिक्शा चलाने वाला होगा और ऑटोरिक्शा रखने वाला होगा। स्कूटर रिपेयरिंग करने वाला होगा, साइकिल रिपेयरिंग करने वाला होगा, फल बेचने वाला होगा, ब्रेड बेचने वाला होगा, ये सब सामान्य व्यक्ति हैं। इस देश में करीब साढ़े पांच करोड़ से ज्यादा ऐसी इकाइयां हैं, जो 11 - 12 करोड़ लोगों को रोजगार देती हैं। लेकिन अगर उसको पैसा चाहिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। पहली बार यह सरकार इस योजना को लेकर आई है ''मुद्रा'' में, जिसके तहत इसी वर्ग को धन मिलेगा। यह एक ऐसा नया क्षेत्र है, जिस पर हमने फोकस किया है। करीब 54 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही व्यवसाय करते हैं, अपना छोटा - मोटा कारोबार चलाते हैं। 46 परसेंट शहरों में हैं और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें 60 परसेंट, या तो शेडयूल्ड कास्ट्स के हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के हैं या ओबीसी के हैं।

125 करोड़ लोगों में से 29 करोड़ लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है और केवल 19 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके पास 'दुर्घटना मृत्यु बीमा' का कवर है। केवल 6 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके पास 'संगठित पेंशन योजना' का कवर है। इसके अलावा बीपीएल केटेगरी में तीन करोड़, विधवा हों या वरिष्ठ नागरिक हों, उनके लिए 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक आज पेंशन की व्यवस्था है। इतने बड़े देश में यह व्यवस्था बहुत सामान्य है। हम एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ''प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना'' के तहत, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना'' के तहत और ''अटल पेंशन योजना'' के तहत हम समाज के सभी वर्गों को स्पर्श करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

125 करोड़ लोगों में से 29 करोड़ लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है और केवल 19 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके पास 'दुर्घटना मृत्यु बीमा' का कवर है। केवल 6 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके पास 'संगठित पेंशन योजना' का कवर है। इसके अलावा बीपीएल केटेगरी में तीन करोड़, विधवा हों या वरिष्ठ नागरिक हों, उनके लिए 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक आज पेंशन की व्यवस्था है। इतने बड़े देश में यह व्यवस्था बहुत सामान्य है। हम एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ''प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना'' के तहत, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना'' के तहत और ''अटल पेंशन योजना'' के तहत हम समाज के सभी वर्गों को स्पर्श करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

हमारे देश के किसानों को पेंशन योजना से लाभ होगा। हमने एक नया प्रयास ''गोल्ड बांड'' का किया है। अब सोने के सिक्कों और बिस्कुट पर अशोक चक्र का प्रतीक होगा और उसकी पूरे विश्व में पहुंच होनी चाहिए। हम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सम्प्रभुता वाली सोने की खान की बात करते हैं। आज सोना निष्क्रिय धनराशि के रूप में अप्रयुक्त पड़ा हुआ है। हम इसे संचलन में लाना चाहते हैं ताकि अर्थव्यवस्था को अत्यधिक बढ़ावा मिले। समान रूप से हम सम्प्रभुता वाले सोने के बांड के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं। अत: यह आयात - निर्यात से संबंधित हमारे असंतुलन को संतुलित करने का एक प्रयास होगा। यह एक ऐसी योजना है जिसका, मेरे विचार में, काफी लाभ होगा। श्री गुलाम नबी आजाद ने अफसरों के तबादलों को लेकर

बड़ी पीड़ा व्यक्त की। किन्तु जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कई अफसरों का तबादला अनौपचारिक ढंग से किया था।

हमारा प्रयास अच्छा प्रशासन प्रदान करना है। रेलवे और राजमार्ग दोनों सरकार के अंतर्गत आते हैं किन्तु पहले दोनों के बीच में इतना अधिक टकराव था कि राजमार्ग की 350 से अधिक परियोजनाओं को रेलवे ने मंजूर नहीं किया था और रेलवे की परियोजनाओं को राजमार्ग मंजूर नहीं करता था। हमने दोनों विभागों की एक बैठक बुलाई और दोनों के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। आज हमने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जहां ऑनलाइन मंजूरी दी जाती है। हमारे नौ महीने के कार्यकाल के दौरान हमने संप्रग सरकार की तुलना में अधिक लम्बे राजमार्गों और अधिक नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया है तथा अधिक गेज परिवर्तन और अधिक दोहरीकरण का कार्य किया है।

आदर्श ग्राम योजना के संबंध में मैं कुछ माननीय सदस्यों का स्वागत करना चाहता हूं और उन्हें आभार प्रकट करना चाहता हूं। लगभग 660 सांसदों ने इस काम को आगे बढ़ाया है। माननीय मोती लाल वोरा जी ने छत्तीसगढ़ के मोहाली गांव में बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने सभी राशन कार्ड धारकों के ''जन-धन'' खाते खुलवाये हैं और उन्हें आधार कार्ड से जोड़ दिया है। उन्होंने सरकारी वितरण की दुकानों के लिए निगरानी समितियां बनाई ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ गरीबों तक पहुंच सके। जोरहाट से संसद सदस्य ने आईसीडीएस और दोपहर का भोजन योजना की निगरानी के लिए उचित व्यवस्था बनाई है। हमारे नागर विमानन मंत्री श्री अशोक ने आंध्र प्रदेश में एक गांव को अपनाया ताकि वह इसे शराब मुक्त बना सके। मेरे विचार से यदि हम सब आर्दश ग्राम योजना में सहयोग करे तो यह काम आगे बढ़ेगा। सरकारी खजाने में मजदूरों के 27 हजार करोड़ रुपए पड़े हैं। हमने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर नामक एक योजना बनाने की कोशिश की है। इस योजना के अंतर्गत कोई मजदूर जहां कहीं भी जायेगा उसकी धनराशि इस खाते के साथ वहां अंतरित कर दी जायेगी। परिणामस्वरूप यदि उन 27 हजार करोड़ रुपए में भी उसका कोई पुराना हिसाब पड़ा होगा तो वह भी उसमें चला जायेगा। उर्वरकों के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि खाद की बिक्री में हमारे पीछे रहने का भी कोई कारण नहीं है। आधार कार्ड और मनरेगा के संबंध में हमने संप्रग सरकार की तुलना में अपने नौ महीनों के कार्यकाल में उनसे अधिक ''आधार'' आधारित हस्तांतरण किये, अधिक आधार नंबर ''मनरेगा'' के साथ जोड़े और उनके अधिक ''आधार'' नौकरी कार्ड के साथ जोड़े। हमने मनरेगा के अंतर्गत गरीबों को 100 दिन रोजगार गारंटी की बात कही है। हमने इस अवधि के दौरान आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। पश्चिमी बंगाल की भी चर्चा हुई। जो लोग आयातित विचार लेकर देश चलाना चाहते थे, 30 साल तक पश्चिमी बंगाल में उनको राज करने का अवसर मिला। पश्चिमी बंगाल जो कभी औद्योगिक कार्यों की राजधानी हुआ करता था वह तीस वर्षों में पूरा का पूरा नष्ट हो गया है। देश में रोजगार सृजन की आवश्यकता है। इसके लिए हमें ''मेक इन इंडिया'' मंत्र को आगे बढ़ाना होगा। हमें रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अवसंरचना पर बल देना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ''डिजिटल इंडिया'' की बात कही है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में डिजिटल अंतर भी गरीबी और पिछड़ेपन का एक कारण बन सकता है।

भारत के हितों की रक्षा करना हमारा केन्द्र बिन्दु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में हमारी सोच साफ है कि दुनिया के साथ हम अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं। हम अपने पड़ोसियों के साथ विशेष और गहरे संबंध बनाना चाहते हैं लेकिन हम किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। मैं इस सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर की सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बनी है और यह उसी पर चलेगी। आतंकवाद के संबंध में यह सरकार 'जीरो- टॉलरेन्स' की नीति के साथ आगे बढ़ेगी।

हम 'मोबाइल गवर्नेंस' की ओर जाने चाहते हैं। हम गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मोबाइल पर इसकी व्यवस्था देना चाहते हैं। हम डिजिटल इंडिया की भी बात करते हैं। क्या हमारे बीपीओ सेंटर हैदराबाद, बेंगलुरु, मुम्बई, चेन्नई और अहमदाबाद ही चलने चाहिए या हमारे पूर्वोत्तर के नौजवानों के पास भी जाने चाहिए। हमारी कोशिश यह है कि उस दिशा में हम जाएं ताकि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार प्राप्त हो। सभी ने काला धन के संबंध में अपनी चिंता जताई है। यही एक विषय है जो कुछ समय पहले कोई छूने को तैयार

शेष पृष्ठ 30 पर

भूमि अधिग्रहण विधेयक पर किसी भी मंच पर खुली बहस को तैयार : नितिन गडकरी

भूमि अधिग्रहण विधेयक खेतों, खलिहानों में काम करने वालों और किसानों को समृद्ध बनानेवाला कानून है, इसलिए गांवों में विकास के लिए इस विधेयक का साथ देने को लेकर 19 मार्च को केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा। प्रस्तुत है पूरा पाठ :

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ग्रामीण विकास और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान भूमि अधिग्रहण कानून में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल और संगठन राजनीतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के हित में काम करने वाली सरकार है।

यूपीए सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरूस्थापन अधिनियम, 2013 बनाया था, उसमें 13 कानूनों को सोशल इंपैक्ट और कंसेंट क्लाज से बाहर रखा गया था। इनमें सबसे प्रमुख तो कोयला क्षेत्र अधिग्रहण और विकास कानून 1957 और भूमि अधिग्रहण (खदान) कानून 1885 और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 है। इसके अलावा एटमी ऊर्जा कानून 1962, इंडियन ट्रामवेज एक्ट 1886, रेलवे एक्ट 1989 जैसे कानून प्रमुख हैं। हमने इसमें कुछ और महत्वपूर्ण विषयों को जोड़ा है। जिससे आप सहमत नहीं हैं। यह आपका अधिकार है। लेकिन हम आपसे

बदलावों को करते हुए हमने मुआवजे और पुनर्वास से कोई समझौता नहीं किया है। जिन विषयों को हमने इस सूची में शामिल किया है, उसमें से एक भी किसानों के विरोध में नहीं है, बल्कि यह विषय उन्हें समृद्धिशाली बनाने वाले हैं। इंडस्ट्रियल कोरीडोर दिल्ली या फिर किसी महानगर में नहीं बनेगा। यह ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरेगा। इसके तहत अगर ग्रामीण इलाकों में उद्योग लगते हैं तो इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

पूछना चाहते हैं, क्या किसानों के खेतों को पानी नहीं मिलना चाहिए? क्या गांवों में समृद्धि नहीं आनी चाहिए? क्या देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है? हमने जो बदलाव किए हैं वो इन्ही विषयों से संबंधित हैं। ग्रामीण विकास, सिंचाई परियोजनाओं और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने बदलाव किए हैं। रक्षा, ग्रामीण बिजली, सिंचाई परियोजनाएं, गरीबों के लिए घर और औद्योगिक कारीडोर जैसी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण को सोशल इंपैक्ट और कंसेंट क्लाज से बाहर रखे गए कानूनों की सूची में जोड़ा है।

बदलावों को करते हुए हमने मुआवजे और पुनर्वास से कोई समझौता नहीं किया है। जिन विषयों को हमने इस सूची में शामिल किया है, उसमें से एक भी किसानों के विरोध में नहीं है, बल्कि यह विषय उन्हें समृद्धिशाली बनाने वाले हैं। इंडस्ट्रियल कोरीडोर दिल्ली या फिर किसी महानगर में नहीं बनेगा। यह ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरेगा। इसके तहत अगर ग्रामीण इलाकों में उद्योग लगते हैं तो इसका सीधा फायदा किसानों को होगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। किसानों के फसलों को उनकी फसलों का सही दाम मिलेगा। जहां कच्चा माल मिलेगा वहां उससे संबंधित उद्योग आने की ज्यादा संभावना है। क्या हमारे ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना ठीक नहीं है?

हमने सिंचाई परियोजनाओं के लिए कानून में बदलाव किए हैं। हम सिंचाई के लिए व्यवस्था करना चाहते हैं। ये

बदलाव खेतों को पानी उपलब्ध कराने के लिए हैं। जब तक किसानों को पानी नहीं मिलेगा तब तक हम उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बना पाएंगे। 2000 एकड़ में अगर हम एरिगेशन प्रोजेक्ट लगाते हैं तो 3 लाख हेक्टेअर खेतों को हम पानी उपलब्ध करा सकते हैं। यह कहां से किसान विरोधी है? 80 फीसदी भूमि सिंचाई के लिए अधिग्रहीत की जाती है। इस पूरे कानून में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसानों के विरोध में हो।

यही नहीं, जमीन मालिक के अलावा भी उस पर निर्भर लोग मुआवजे के हकदार होंगे। पूरा मुआवजा मिलने के बाद ही जमीन से विस्थापन होगा। इन बदलावों में न्यायसंगत मुआवजे के अधिकार और पारदर्शिता पर खास जोर दिया गया है। इसी के आसपास भूमिधारी समुदाय के हक-हकूक के मसलों को कानून में रेखांकित किया गया है। अब मुआवजा एक निर्धारित खाते में ही जमा होगा। मुकम्मल पुनर्वास इस कानून का मूल आधार है। बिना उसके कोई भी जमीन किसी भी किसान से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी कीमत पर नहीं ली जा सकेगी। इसके अलावा अब दोषी अफसरों पर अदालत में कार्रवाई हो सकेगी। इसके साथ ही किसानों को अपने जिले में ही शिकायत या अपील का अधिकार होगा। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी हमने कुछ बदलाव किए। आज देश के लोगों की गाढ़ी कमाई विदेशों से हथियार मंगाने पर खर्च होती है। क्या हमें इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? क्या ये देशहित में नहीं है?

आपके मन में अध्यादेश लाने को लेकर भी सवाल हैं। हम कहना चाहते हैं, किसानों के हित में अध्यादेश लाना जरूरी था। यदि हम अध्यादेश नहीं लाते तो किसानों को उनकी जमीन का बाजार भाव से चार गुना मुआवजा नहीं दे सकते थे। इस अध्यादेश की बदौलत ही हम किसानों को उनकी जमीन का चार गुना मुआवजा दे पाए। केवल राजमार्ग मंत्रालय और उर्जा मंत्रालय ने किसानों को 2000 करोड़ का मुआवजा दिया। यह इसलिए हो सका क्योंकि हम अध्यादेश लेकर आए।

विपक्षी दलों से बातचीत के बगैर कानून में बदलाव का आरोप आप लगा रहे हैं, यह भी ठीक नहीं है। हमने विज्ञान भवन में सभी राज्य सरकारों के मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। जिस बैठक में करीब सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि मंत्री शामिल हुए। इस विषय में उन राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के पत्र भी हमारे पास हैं। हमने जो बदलाव किए उन्ही सरकारों के सुझाव पर किए। इसमें आपकी राज्य सरकारें भी शामिल हैं।

यह कानून खेतों, खलिहानों में काम करने वालों और किसानों को समृद्धि बनाने वाला कानून है, गावों में विकास के लिए इस विधेयक का साथ दें। हम इस विधेयक पर आपसे किसी भी मंच पर खुली बहस को तैयार हैं।

पृष्ठ 7 का शेष...

को भला नहीं होगा। ये जो सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, वो सरासर किसान विरोधी के भ्रम हैं। किसान को गरीब रखने के षडयन्त्र का ही हिस्सा हैं। हम तो जय-जवान, जय-किसान वाले हैं। जय जवान का मतलब है देश की रक्षा। देश की रक्षा के विषय में हिंदुस्तान का किसान कभी पीछे हटता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, ''हम इस बात पर सहमत हैं कि सबसे पहले सरकारी जमीन का, फिर बंजर भूमि, फिर आखिर में अनिवार्य हो तब जाकर के उपजाऊ जमीन को हाथ लगाया जाए। इसके लिए सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है।''

बरकरार रहेगा किसानों का कानूनी हक

उन्होंने कहा, ''मेरे किसान भाइयों-बहनों एक भ्रम फैलाया जाता है कि आपको कानूनी हक नहीं मिलेगा, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये सरासर झूठ है। हिंदुस्तान में कोई भी सरकार आपके कानूनी हक को छीन नहीं सकती, संविधान के तहत आप किसी भी कोर्ट में जा कर दरवाजा खटखटा सकते हैं। हमने एक अथॉरिटी बनायी है जो जिले के किसानों की समस्याओं का समाधान जिले में ही करेगी। वहां अगर संतोष नहीं होता तो कोर्ट जा सकते हैं। हमने प्रोजेक्ट की समय-सीमा बाँध दी है और उतने सालों में अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता हैं तो जो किसान चाहेगा वही होगा।''

बारिश से बर्बाद फसलों पर भी बोले

सत्ता में आने से पहले पिछले साल बारिश कम होने और इस वर्ष पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश को भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश होने से किसानों का नुकसान हुआ है। मैं इस संकट की घड़ी में आपके साथ हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा, ''राज्य सरकारों को मैंने कहा है कि केंद्र-राज्य मिल कर इन मुसीबत में फंसे हुए किसानों को जितनी ज्यादा मदद कर सकते हैं करें। सरकार के मंत्री भी किसानों की समस्या का हाल जानेंगे और सरकार जल्द ही इस दिशा में कदम उठाएगी।'' ■

महंगाई दर में भारी गिरावट

थोक महंगाई दर –2.06 प्रतिशत

भाजपानीत एनडीए सरकार के बेहतर प्रयासों और वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम होने से देश की थोक महंगाई दर तेजी के साथ नीचे आ रही है। पेट्रोल-डीजल तथा रसोई गैस की कीमतों में आई भारी गिरावट के कारण थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई फरवरी महीने में 2.06 प्रतिशत ऋणात्मक रही, जो अब तक का रिकॉर्ड निचला स्तर है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 मार्च को यहां जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी में अखाद्य पदार्थों की महंगाई 5.55 प्रतिशत तथा ईंधन एवं ऊर्जा क्षेत्र के उत्पादों की महंगाई 14.72 प्रतिशत कम हुई है। इससे थोक कीमतों में 2.06 फीसदी की कमी आई है। यह लगातार चौथा महीना है जब थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। इस साल जनवरी में ओवरऑल थोक महंगाई 0.39 प्रतिशत तथा खाद्य महंगाई 8.00 प्रतिशत रही थी। फरवरी में नॉन फूड आर्टिकल्स की महंगाई दर महीने दर महीने आधार पर –4.07 फीसदी से घटकर –5.55 फीसदी पर आ गई है।

आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में साल दर साल आधार पर प्याज की कीमत 26.58 प्रतिशत, फलों की कीमत 16.84 प्रतिशत, सब्जियों के दाम 15.54 प्रतिशत तथा दालों के दाम 14.59 प्रतिशत बढ़ गए। इनके अलावा दूध के दाम में 7.33 प्रतिशत तथा चावल के दाम में 3.82 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। खाद्य पदार्थों में सिर्फ आलू और गेहूं के दाम क्रमशः 3.56 फीसदी और 2.40 फीसदी घटे हैं।

इस दौरान पेट्रोल के दाम 21.35 प्रतिशत, डीजल के 16.62 प्रतिशत तथा रसोई गैस के दाम 8.86 प्रतिशत उतर गए। वहीं खनिजों के दाम भी 25.57 प्रतिशत कम हुए। दिसंबर के थोक महंगाई सूचकांक में संशोधन करते हुए इसे 0.11 प्रतिशत से घटाकर 0.50 प्रतिशत ऋणात्मक कर दिया गया है।

यह लगातार चौथा महीना है जब थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। इस साल जनवरी में ओवरऑल थोक महंगाई 0.39 प्रतिशत तथा खाद्य महंगाई 8.00 प्रतिशत रही थी।

कच्चे तेल के वैश्विक दाम कम रहने के आसार

विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 2 साल तक कच्चे तेल के वैश्विक दाम कम रहने के आसार हैं। इससे भारत को भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य 6 प्रतिशत पर महंगाई दर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही चालू खाता घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत तक लाने और ईंधन सब्सिडी पर खर्च घटने से राजकोषीय घाटा कम रखने में मदद मिलेगी। वैश्विक शोध एवं रेटिंग एजेंसी मूडी ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा है कि तेल के दाम कम रहने से भारत को महंगाई दर कम रखने, सुधरा हुआ कारोबारी संतुलन बनाए रखने और ईंधन सब्सिडी घटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा तेल एवं अन्य जिंसों के दाम स्थिर होने से विकास को गति देने में मदद मिलेगी और हम उम्मीद करते हैं कि 2015 और 2016 में महंगाई पर काबू रखने और चालू खाता घाटा नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।

जून 2014 और जनवरी 2015 के बीच कच्चे तेल के दाम में करीब 60 प्रतिशत की गिरावट आई और इसके दाम जनवरी में 47 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए, जो 6 साल का न्यूनतम स्तर है। फरवरी में दाम 17 प्रतिशत बढ़कर 59 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने के बावजूद मूडी का अनुमान है कि कच्चे तेल के दाम 2015 में करीब 55 डॉलर प्रति बैरल और 2016 में 65 डॉलर प्रति बैरल और 2017 में 72 डॉलर प्रति बैरल पर स्थिर रहेंगे। तेल के दाम गिरने से भारत की सालाना बिजली और ईंधन महंगाई दर दिसंबर 2014 में घटकर 3.4 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो जनवरी 2014 में 6.5 प्रतिशत थी। इसकी वजह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में कमी आई और यह इस अवधि के दौरान 8.8 प्रतिशत से गिरकर 5 प्रतिशत पर आ गया। सालाना ईंधन और बिजली की महंगाई दर में ज्यादा आधार स्तर होने के कारण 2015 के दौरान गिरावट जारी रहेगी। ■

पृष्ठ 19 का शेष...

किसी भी मामले में अपील कर सकेंगे। इससे उनके अधिकारों की सुरक्षा को बल मिलेगा।

पहले चले आ रहे भूमि अधिग्रहण कानून में प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान था लेकिन किसी को नौकरी नहीं दी जाती थी। संशोधन के बाद लोकसभा में पास हुए बिल में प्रभावित परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने फैसला कर लिया है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए अब रेलवे ट्रैक और हाईवे के दोनों तरफ सिर्फ एक किलोमीटर तक की जमीन का अधिग्रहण होगा। संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल के मुताबिक बंजर जमीनों के लिए अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा।

चार अप्रैल तक इस संशोधित बिल का कानून बनाया जाना जरूरी है, नहीं तो अध्यादेश रद्द हो जाएगा। अब राज्यसभा में विपक्ष ने अगर बिल का विरोध जारी रखा तो सरकार को संयुक्त सत्र बुलाना होगा। और वहां बहुमत होने की वजह से सरकार आसानी से अपना काम कर लेगी। ■

पृष्ठ 26 का शेष...

नहीं था। उच्चतम न्यायालय ने 2011 में एसआईटी बनाने के लिए कहा था। यदि उस समय एसआईटी बन जाती और उस समय प्रक्रिया हुई होती तो रुपया आने – जाने का समय नहीं मिल पाता। हम देश में काला धन वापस लाने के प्रति वचनबद्ध हैं और हम उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अधिग्रहण अध्यादेश के संबंध में आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसमें किसानों के खिलाफ कोई प्रावधान नहीं है। इसके साथ ही मैं आपसे यह दुष्प्रचार न फैलाने का भी अनुरोध करता हूँ कि मुआवजा कम होने वाला है।

राज्यों के लिए इस कानून के तहत काम करना मुश्किल है। राज्यों के दायित्वों की रक्षा करना आपका भी दायित्व है। इस नए कानून से राज्यों की आशा और आकांक्षा के अनुसार परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। हमें अपने देश के किसानों की चिंता करनी चाहिए और उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो 67 प्रतिशत गरीब लोगों का कवरेज है, उसमें से कुछ भी कम करने का निर्णय सरकार का नहीं है। कृपया इस प्रकार के भ्रम न फैलाए जाए। केन्द्र द्वारा राज्यों को यह नया 42 प्रतिशत दिए जाने के कारण सभी राज्यों को अधिक धन मिलेगा। खनिज की रॉयल्टी डेढ़ गुना बढ़ा दी गई है, जो ज्यादातर पूर्व के राज्यों को मिलने वाली है। कोयले की निलामी का पैसा भी राज्यों के पास जाने वाला है। कुल धनराशि का 62 प्रतिशत राज्यों के पास होगा और केवल 38 प्रतिशत केन्द्र के पास होगा।

भारत के हितों की रक्षा करना हमारा केन्द्र बिन्दु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में हमारी सोच साफ है कि दुनिया के साथ हम अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं। हम अपने पड़ोसियों के साथ विशेष और गहरे संबंध बनाना चाहते हैं लेकिन हम किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। मैं इस सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर की सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बनी है और यह उसी पर चलेगी।

भारत के हितों की रक्षा करना हमारा केन्द्र बिन्दु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में हमारी सोच साफ है कि दुनिया के साथ हम अपने रिश्ते बनाना चाहते हैं। हम अपने पड़ोसियों के साथ विशेष और गहरे संबंध बनाना चाहते हैं लेकिन हम किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। मैं इस सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर की सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर बनी है और यह उसी पर चलेगी।

आतंकवाद के संबंध में यह सरकार 'जीरो– टॉलरेन्स' की नीति के साथ आगे बढ़ेगी। मैं कश्मीर के नागरिकों को अभिनंदन करता हूं। हमें कश्मीर के नागरिकों में भरोसा है। मैं इस सभा के माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर के लिए हमारे देश की सभाओं ने जो प्रस्ताव पारित किए हुए हैं उनका पूर्णत: अनुपालन किया जाएगा। उनमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं एक बार फिर से सभा से अनुरोध करता हूं कि हम सब मिलकर सर्वसम्मति से राष्ट्रपतिजी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव परित करें।■